भारत में पुलिस संगठन

कॉमनवैल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव

2008

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सी.एच.आर.आई.) एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, अंतर्राष्ट्रीय गैर–सरकारी संगठन है जो कॉमनवेल्थ के देशों में मानव अधिकारों को व्यवहारिक रूप से हासिल करने में संलग्न है। वर्ष 1987 में अनेक कॉमनवेल्थ व्यावसायिक एसोसिएशनों ने सी.एच.आर.आई. की स्थापना की। उनका विश्वास था कि हालांकि कॉमनवेल्थ ने अपने सदस्य देशों को वैसे मूल्य और कानूनी सिद्धांत प्रदान किया है जिसके आधार पर वे कार्य करते है तथा ऐसा मंच प्रदान किया है जिसमें वे मानव अधिकारों को बढ़ावा देते हैं, परन्तु कॉमनवेल्थ के अन्दर मानव अधिकार के मुद्दों पर कम ध्यान केन्द्रित किया गया है।

सी.एच.आर.आई. का उद्देश्य, कॉमनवेल्थ हरारे सिद्धांतों, यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मानव अधिकार तंत्र और कॉमनवेल्थ सदस्य देशों में, मानव अधिकारों का समर्थन करने वाले घरेलू तंत्रों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना तथा उसका अनुपालन करना है।

अपने रिपोर्टों और आवधिक जांच के माध्यम से सी.एच.आर.आई. कॉमनवेल्थ देशों में मानव अधिकरों की प्रगति और उसमें बाधाओं के बारे में निरन्तर ध्यान आकर्षित करता है। मानव अधिकार के उल्लंघन को रोकने की अवधारणा और उपायों के समर्थन में सी.एच.आर.आई. कॉमनवेल्थ सचिवालय सदस्य सरकारों तथा सिविल समाज एसोसिएशनों का ध्यान आकर्षित करता है। अपनी जन शिक्षा कार्यक्रमों, नीति संबंधी वार्ता, तुलनात्मक शोध, समर्थन और नेटवर्क के माध्यम से सी.एच.आर.आई. का विचार अपने प्राथमिक मुद्दों के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है।

सी.एच.आर.आई. के प्रायोजक संगठनों* का स्वरूप' इसे एक राष्ट्रीय पहचान और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क प्रदान करता है। ये व्यावसायिक संगठन अपने कार्यों में मानव अधिकार मानदंडों को शामिल कर सार्वजनिक नीति का भी मार्गदर्शन कर सकते हैं तथा मानव अधिकार सूचना, मानदंड और प्रथा के प्रसार में एक माध्यम के रूप में कार्य करते है। ये समूह स्थानीय जानकारी को भी प्रोत्साहित करते हैं, नीति निर्माताओं तक उनकी पहुंच है, मुद्दों को उजागर करते हैं और मानव अधिकारों को बढ़ावा देने में एक सहयोजक के रूप में कार्य करते हैं।

सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली, भारत में स्थित है तथा इसके लंदन, यू.के. और आक्रा, घाना में कार्यालय हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति : सैम ओकुडजेटो, अध्यक्ष, सदस्य–यूनिस ब्रुकमेन–अमिसाह, मर्रे बर्ट, ज्यां कोर्स्टन, माया दारूवाला, एलिसन–डक्सबरी, निहाल जयविक्रम, बी.जी. वर्गीज़, जोहरा युसुफ, बर्नडेट गनिलाऊ।

कार्यकारी समिति : बी.जी. वर्गीज़–अध्यक्ष, माया दारूवाला–निदेशक। सदस्यः अनु आगा, डॉ बी.के. चन्द्रशेखर, भगवान दास, के.एस.ढिल्लन, हरिवंश, संजय हजारिका, पूनम मुत्रेजा, आर.वी.पिल्लई, प्रो. मूलचन्द शर्मा, जस्टिस रूमा पाल, नितिन देसाई।

न्यासी समिति : निहाल जयविक्रम–अध्यक्ष, मीनाक्षी धर, सदस्य–आस्टिन डेविस, डेरक इंग्रम, नेविले लिंटन, कॉलिन निकोलस, लिंडसे रॉस, पीटर स्लिन, एलिजाबेथ स्मिथ।

*'कॉमनवेल्थ पत्रकार संघ, कॉमनवेल्थ अधिवक्ता संघ, कॉमनवेल्थ विधिक शिक्षा संघ, कॉमनवेल्थ संसदीय संघ, कॉमनवेल्थ प्रेस यूनियन और कॉमनवेल्थ ब्राडकास्टिंग एसोसिऐशन।

डिजाइन, लेआऊट व आभार : रंजन कुमार सिंह, रश्मि जलोटा, सी.एच.आर.आई; **रेखांकनः** सुरेश कुमार; **मुद्रकः** प्रिंट वर्ल्ड 9810185402, नई दिल्ली

ISBN: 81-88205-54-0

© सी.एच.आर.आई. पुनः प्रकाशन, 2008

स्त्रोत की समुचित जानकारी देकर इस रिपोर्ट से सामग्री का उपयोग किया जा सकता है।

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव

सी.एच.आर.आई मुख्यालय
बी–117, प्रथम तल
सर्वोदय एन्क लेव
नई दिल्ली – 110017, भारत
फोनः +91–11–2652–8152, 2685–0523
फैक्सः +91–11–2686–4688
E-mail: chriall@nda.vsnl.net.in

सी.एच.आर.आई., लंदन कार्यालय
इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमनवेल्थ स्टडीज
28, रस्सेल स्क्वायर
लंदन, WC1B 5DS, UK
फोनः +44–020–7–862–8857
फैक्सः +44–020–7–862–8820
E-mail: chri@sas.ac.uk

सी.एच.आर.आई., आफ्रीका कार्यालय
मकान न. 9 समारा मशेल मार्ग,
बेवरली हिल्स होटल के सामने,
नजदीक ट्रस्ट टावर, अक्वायलम डाऊन,
आक्रा,घाना
टेली / फैक्सः +00–233–21–271–170
E-mail: chriafr@africaonline.com

विषय–सूची

प्रस्तावना 2

राज्य पुलिस बल 10

भर्ती तथा प्रशिक्षण 36

पुलिस व्यवस्था में केन्द्र की भूमिका 44

पुलिस आधुनिकीकरण 60

अनुबंध – एक
भारत में पुलिस संगठन – एक झलक

प्रस्तावना

भारत जिसका क्षेत्रफल 32,87,782 वर्ग किलोमीटर है तथा जिसकी जनसंख्या 112 करोड़ 98 लाख, 66 हजार है, 28 राज्यों और 7 केन्द्र संघ राज्य क्षेत्रों का संघ है। संघ और राज्यों की शक्तियाँ और उत्तरदायित्व भारत के संविधान में निर्धारित है। संविधान के अनुच्छेद 246 में संसद और राज्य विधान मंडलों की विधायी शक्तियाँ दी गई हैं। इसमें संविधान की सातवी अनुसूची में दिए गए विषयों की तीन सूचियों का उल्लेख किया गया है:-

सूची-1 :- संघ सूची - इस सूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर सिर्फ संसद को कानून बनाने की अधिकार प्राप्त है।

सूची-2 :- राज्य सूची - इस सूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर सिर्फ राज्य विधान मंडल को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है।

सूची-3 :- समवर्ती सूची - इस सूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर कानून बनाने के लिए संसद और राज्य विधान मंडलों दोनों को समवर्ती अधिकार प्राप्त है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार पुलिस, लोक व्यवस्था, न्यायालय, कारागार, सुधारालय, बोर्स्टल तथा अन्य सम्बद्ध संस्थाएं राज्य सूची के विषय हैं।

---

[1]ये राज्य निम्नलिखित हैं :- आन्ध्र प्र॰, अरूणाचल प्र॰, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल पदेश, जम्मू कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल।

संघ राज्य क्षेत्र वैसे क्षेत्र हैं जो राज्य के क्षेत्राधिकार का अंग नहीं हैं तथा केन्द्र सरकार के नियंत्रण में होते हैं। ये संघ राज्य क्षेत्र निम्नलिखित हैः- अंडमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमण और दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप और पंडिचेरी।

पुलिस प्रणाली को समझने से पूर्व दंड न्याय प्रणाली को समझना अनिवार्य है। भारत में पुलिस संगठन और उसके कार्यकरण को स्पष्ट करने से पहले *इस प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं* की चर्चा अनिवार्य है।

"आप कितने भी बड़े क्यों न हो, कानून आपसे बड़ा है।"

दंड न्याय प्रणाली

दंड विधि

दंड विधि में, भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.), केन्द्रीय तथा राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाए विशेष और स्थानीय कानून तथा दंड प्रक्रिया संहिता (सी.आर.पी.सी.), 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (इंडियन एविडेंस एक्ट), 1872 शामिल हैं।

विधि निर्माण में मील का पत्थर (1850–1900)

भारतीय दंड संहिता, 1860
भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
दंड प्रक्रिया संहिता, 1898

ये तीन प्रमुख अधिनियम अर्थात् आई.पी.सी., सी.आर.पी.सी. और इंडियन एविडेंस एक्ट अंग्रेजों द्वारा उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में बनाए गए थे। इनमें से सिर्फ एक प्रमुख विधि सी.आर.पी.सी. में आजादी के पश्चात् विधि आयोग की सिफारिशों पर 1973 में संशोधन किया गया था। अन्य दोनों कानून उसी रूप में रहे, उनमें सिर्फ छोटा–मोटा संशोधन किया गया।

विधि सम्मत कानून

आई.पी.सी. में विभिन्न प्रकार के अपराधों के बारे में बताया गया है तथा इसमें उन अपराधों के लिए उपयुक्त दंड भी निर्धारित किया गया है। अपराध विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं राज्य, सैन्य बलों, लोक व्यवस्था, लोक न्याय, जनस्वास्थ्य संरक्षा, नैतिकता, मानव शरीर,सम्पत्ति के खिलाफ अपराध तथा चुनाव सम्बन्धित अपराध, जाली नोट और सिक्के छापने, सरकारी स्टाम्प छापने, नाप–तोल सम्बन्धी अपराध, धर्म, दस्तावेज और सम्पत्ति के स्टाम्प, विवाह तथा मानहानि सम्बन्धी मामले।

आई.पी.सी. में 511 सेक्शन हैं, जिसमें से लगभग 330 दंड से सम्बन्धित है।

आई.पी.सी. के अतिरिक्त स्थानीय और विशेष विधि (एस. एल.एल.)[2] में भी दंड सम्बन्धी उपबंध हैं। इन कानूनों को, मुख्यतया नए तरह के उभरने वाले अपराधों से निपटने और समाज के कमजोर तबकों के हितों की सुरक्षा के लिए समय-समय पर बनाया गया है। ज्यादातर आपराधिक मामले इन्हीं कानूनों के अंतर्गत दायर किए जाते हैं जिनमें से कुछ अस्त्र-शस्त्र तथा विस्फोटक पदार्थ रखने और बनाने, नशीली दवाइयों, जुआ, महिलाओं की खरीद-फरोख्त, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध अत्याचार, आबकारी और मद्यनिशेध, तस्करी, आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और मुनाफाखोरी, खाद्यान्नों में मिलावट और यातायात, आदि सम्बन्धी अपराध शामिल हैं।

संज्ञेय अपराधों में पुलिस को जांच करने की प्रत्यक्ष और किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति शामिल है। असंज्ञेय अपराधों की पुलिस तब तक स्वंय जांच नहीं कर सकती जब तक कि न्यायालय जिसे ऐसा अधिकार क्षेत्र प्राप्त है, निदेश न दें।

प्रक्रियात्मक कानून

प्रक्रियात्मक कानून में, आपराधिक मामलों को दायर किए जाने, उनकी जांच तथा अदालत द्वारा उसकी समुचित रूप से सुनवाई के बाद इस पर निर्णय लिए जाने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शामिल है। पुलिस को सभी दंड़ात्मक अपराधों का संज्ञेय लेने की शक्ति नहीं दी गयी है। आपराधिक कानून में दो श्रेणी के अपराधों के बीच अन्तर किया गया है – संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध[3]।

एफ आई आर वह रिपोर्ट है जिसकी इत्तिला पुलिस को सबसे पहले मिलती है और इसी कारण इसे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट कहते हैं।

2. स्थानीय विधि विशेष क्षेत्र/क्षेत्राधिकार पर लागू होता है तथा विशेष विधि किसी विशेष विषय पर लागू होता है।

3. दंड प्रक्रिया संहिता की पहली अनुसूची में आई.पी.सी. में निर्धारित सभी अपराधों की सूची शामिल है तथा यह उल्लेख किया गया है कि वे अपराध संज्ञेय (255 अपराध) हैं या असंज्ञेय (122 अपराध) हैं।

आपराधिक न्याय प्रक्रिया

आपराधिक न्याय प्रक्रिया के निम्नलिखित मुख्य चरण हैं :–

चरण–1 :– एफ.आई.आर. (प्रथम इत्तिला रिपोर्ट) दायर करना।

एफ.आई.आर. दायर होने के साथ आपराधिक न्याय की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एफ.आई.आर. एक लिखित दस्तावेज होता है जो किसी संज्ञेय अपराध के होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस द्वारा तैयार किया जाता है।

चरण–2 :– पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर जाता है तथा मामले की सच्चाई की जांच करता है। पुलिस मुख्यतया निम्नलिखित बातों की जांच करती है :–

- अपराध स्थल की जांच
- साक्षियों तथा संदिग्ध व्यक्तियों की जांच
- बयान रिकार्ड करना
- तलाशी लेना
- सम्पत्ति जब्त करना
- उंगलियों के निशान, पांव के निशान तथा अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य इक्ट्ठा करना
- रिकार्डो की सहायता लेना तथा केस डायरी, दैनिक डायरी, थाना डायरी, आदि जैसे रिकार्डो में प्रविष्टी दर्ज करना
- गिरफ्तारी करना तथा बंदी बनाना
- अभियुक्त से पूछताछ

मृत्युदंड

भारतीय दंड संहिता में सिर्फ 8 अपराध हैं जिनमें मृत्युदंड दिया जाता है। ऐसे सात अपराधों में मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास अथवा 10 वर्ष के कारावास का दंड निर्धारित है। सिर्फ एक अपराध अर्थात् आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे व्यक्ति द्वारा की गई हत्या में दोषसिद्धि पर मृत्युदंड अनिवार्य है। यद्यपि मृत्युदंड को समाप्त नहीं किया गया है यह साधारण दंड नहीं है तथा यह दंड केवल विरले मामलों में ही दिया जाता है।

विभिन्न देशों में प्रति दस लाख जनसंख्या पर न्यायाधीशों की संख्या
भारत–(12.13)
कनाड़ा–75
इंग्लैंड–51
संयुक्त राज्य अमरीका–107

(स्रोत – विभाग से सम्बद्ध गृह सम्बन्धी संसदीय स्थायी समिति – विधि सम्बन्धी विलम्ब तथा न्यायालयों में बकाया मामलों सम्बन्धी 85वां प्रतिवेदन, नई दिल्ली, दिसम्बर, 2001)

चरण–3 :– पुलिस थाना का प्रभारी अधिकारी जांच पूरी करने के पश्चात्, क्षेत्रीय मैजिस्ट्रेट को इस संदर्भ में एक रिपोर्ट भेजता है। यदि अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होता है तो जांच अधिकारी द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट चार्जशीट के रूप में होती है। यदि पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है तो थाना प्रभारी द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट कही जाती है।

चरण–4 :– अदालत चार्जशीट प्राप्त होने पर मामले का संज्ञान लेती है तथा मामले पर मुकदमे की कार्यवाही शुरू करती है।

चरण–5 :– आरोप तैयार किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में अभियोजन पक्ष से यह उम्मीद की जाती है वह अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए अपराध को बिना किसी संदेह के सिद्ध करे। अभियुक्त को स्वयं के बचाव के लिए पूरा अवसर दिया जाता है।

चरण–6 :– यदि मुकदमे में दोष सिद्ध हो जाता है तो अदालत अभियुक्त को निम्नलिखित में से कोई भी दंड दे सकती है :–

- जुर्माना
- सम्पत्ति को जब्त किया जाना
- साधारण कारावास
- कठोर कारावास
- आजीवन कारावास
- मृत्युदंड

न्यायालय

न्यायपालिका में शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय होता है जिसके पास तीन अधिकार क्षेत्र हैं जैसे कि मूल[4] अपीलीय[5] और सलाहकारी[6]। उच्चतम न्यायालय के बाद राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय होता है जिसके नीचे जिलों के अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। राज्य में सभी न्यायालय, उच्च न्यायालय की देख–रेख में कार्य करती हैं।[7] संविधान मौलिक अधिकारों को प्रवृत्त करने और किसी अन्य प्रयोजना के लिए उच्च

अनुच्छेद 50 –

कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण–राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। भारत का संविधान।

4. उच्चतम न्यायालय को केन्द्र और राज्यों तथा दो अथवा दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसा विवाद, जिसमें ऐसा कोई प्रश्न शामिल है जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर करता है, के संदर्भ में मूल अधिकारिता प्राप्त है। संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय को निदेश/आदेश/रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।
5. उच्चतम न्यायालय की अपीलीय क्षेत्राधिकार में संवैधानिक सिविल और दांडिक विषय शामिल हैं। आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी, यदि (क) उच्च न्यायालय ने अपील दायर करने पर किसी अभियुक्त की दोषमुक्ति के आदेश को उलट दिया है तथा उस अभियुक्त को मृत्युदंड या आजीवन कारावास अथवा 10 वर्ष से अधिक के कारावास का दंड दिया है; या (ख) उस उच्च न्यायालय ने किसी मामले को सुनवाई के लिए अपने पास मंगा लिया है और ऐसी सुनवाई में उसने अभियुक्त को मृत्युदंड दिया है; या (ग) वह उच्च न्यायालय प्रमाणित कर देता है कि मामला अपील किए जाने योग्य है। उच्चतम न्यायालय, किसी भी मामले में, संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री अवधारण, दंडादेश या आदेश पर अपील दायर करने के लिए विशेष अनुमति दे सकता है।
6. उच्चतम न्यायालय की सलाहकार सम्बन्धी क्षेत्राधिकार, उन विषयों से सम्बन्धित होती है जो राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय की राय और परामर्श के लिए संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उसे भेजी जाती है।
7. संविधान का अनुच्छेद 226

न्यायालय को निदेश, आदेश अथवा रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।[8]

भारत का उच्चतम न्यायालय (शीर्ष न्यायालय)

↓

उच्च न्यायालय (राज्य स्तर पर सबसे ऊंचा न्यायालय)

↓

सत्र/जिला न्यायालय[9]

↓

प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट/महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय

↓

द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय

↓

कार्यपालक मजिस्ट्रेट

संविधान के राज्य के नीति निदेशक तत्व में यह विनिर्धारित है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा।[10] दांडिक न्याय के मामले में इसे संशोधित दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा 1974 से प्रभावी बनाया गया। इस संहिता के माध्यम से अभियोजक एजेंसी को भी पुलिस से अलग किया गया है। इस संहिता को लागू किए जाने से पूर्व जिला स्तर पर अभियोजन अधिकारी बहुत हद तक जिला पुलिस संगठन के एक अभिन्न अंग के रूप में कार्य करता था।

---

8. संविधान का अनुच्छेद 227
9. सत्र न्यायालय को मूल तथा अपीलीय दोनों प्रकार का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार आदि जैसे मामलों पर सत्र न्यायालय से नीचे के न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकती।
10. भारत के संविधान का अनुच्छेद 50

न्याय में विलम्ब न्याय से वंचित किए जाने के समान है – कुछ गंभीर आंकड़े

विचाराधीन मामलों को हमारे देश की न्यायिक प्रणाली शीघ्र नहीं निपटा पाती है और यही इसकी एक प्रमुख असफलता है। यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने शीघ्र न्याय के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार घोषित किया है परन्तु न्यायालय मामलों को शीघ्र निपटाने में असफल रहा है फलस्वरूप लम्बित मामलों की संख्या बढ़ी है। निचली अदालतों में लगभग 2 करोड़ 63 लाख मामले, 30 लाख से ज्यादा मामले देश के 21 उच्च न्यायालयों में एवं उसी प्रकार 39,780 मामले भारत के उच्चतम न्यायालय में लम्बित है। उच्चतम न्यायालयों में लम्बित मामलों में से 704,214 अपराधिक मामले एवं 32 लाख मामले व्यवहारिक (सिविल) है।[11]

11. हिन्दुसतान टाइम्स, नई दिल्ली, 03 मार्च 2008

राज्य पुलिस बल

पुलिस राज्य का विषय है और इसके संगठन और कार्यकरण राज्य सरकारों द्वारा बनाए नियमों और विनियमों से शासित होते हैं। इन नियमों और विनियमों की रूपरेखा राज्य पुलिस बलों के पुलिस मैनुअल में दी गई है।

प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के अपने–अपने पुलिस बल हैं। पुलिस बलों में विविधता होने के बावजूद उनमें काफी समानता है। इसके निम्नलिखित चार मुख्य कारण हैं :–

- राज्य पुलिस बलों की संरचना और उनका कार्यकरण 1861 की पुलिस अधिनियम द्वारा शासित होती है (जो देश के ज्यादातर भागों में लागू है या उन नए पुलिस अधिनियमों द्वारा शासित होती है जो 2006 की उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर आधारित है।[12]
- प्रमुख दांडिक विधियां, जैसे कि भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, आदि देश के लगभग सभी भाग में एकसमान रूप से लागू है।
- भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) एक अखिल भारतीय सेवा है, जिसमें भर्ती, प्रशिक्षण और प्रबंधन केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है तथा राज्य पुलिस बलों के अधिकतर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस सेवा से होते हैं।
- संविधान में विशिष्ट प्रावधानों सहित भारतीय राज्य–व्यवस्था के संघीय संरचना में पुलिस सम्बन्धित मामलों में केन्द्र की एक समन्वयकारी और सलाहकार की भूमिका है तथा उसे केन्द्रीय पुलिस संगठनों का गठन करने का भी अधिकार प्राप्त है।

संगठनात्मक स्वरूप

राज्य में पुलिस बल पर अधीक्षण राज्य सरकार द्वारा की

12. 2006 के प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र एवं राज्य सरकारों को पुलिस अधिनियम 1861 को हटाकर नए पुलिस अधिनियम बनाने का निर्देश दिया था। इसी कारणवश मार्च 2008 तक निम्नलिखित राज्यों ने नए पुलिस अधिनियम लागू किये हैं– बिहार, केरल, गुजरात, असम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तराखण्ड।

जाती है।[13] पुलिस महानिदेशक (डी.जी.पी) राज्य में पुलिस बल का प्रमुख होता है, जो राज्य में पुलिस बलों के प्रशासन और पुलिस विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देने के लिए राज्य सरकार के प्रति जिम्मेदार होता है।

क्षेत्र स्थापना

राज्य क्षेत्रीय रूप से प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित होते हैं जिन्हें जिला कहा जाता है। पुलिस अधीक्षक के रैंक का अधिकारी जिला पुलिस बल का प्रमुख होता है। कुछ जिलों को मिलाकर एक रेंज बनता है जिसकी देखभाल पुलिस उप–महानिरीक्षक रैंक के एक अधिकारी द्वारा की जाती है। कुछ राज्यों में दो या अधिक रेंज को मिलाकर जोन बनाया गया है जो पुलिस महा–निरीक्षक रैंक के एक अधिकारी के नियंत्रण में होता है।

प्रत्येक जिला उपखंडों (सब–डिविजन) में विभाजित होता है। प्रत्येक उपखंड सहायक पुलिस अधीक्षक/उप–पुलिस अधीक्षक (ए.एस.पी./डी.एस.पी.) रैंक के एक पुलिस अधिकारी के प्रभार में होता है। प्रत्येक उपखंड को क्षेत्रफल, जनसंख्या और अपराध की संख्या के आधार पर अनेक पुलिस थानों में विभाजित किया जाता है। कुछ राज्यों में पुलिस थाना और उपखंड के बीच पुलिस सर्किल होते हैं जहां प्रत्येक सर्किल का प्रमुख पुलिस निरीक्षक (इंस्पेक्टर) होता है।

किसी भी जिले में पुलिस प्रशासन की बुनियादी इकाई पुलिस थाना होता है। सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत सभी प्रकार के अपराध को पुलिस थाने में रिकार्ड किया जाता है तथा सभी निवारक, जांच और कानून व्यवस्था के कार्य वहीं से किए जाते हैं। पुलिस थाना अनेक बीटों में विभाजित होता है तथा पेट्रोलिंग, निगरानी और खुफिया जानकारी इक्ट्ठा करने, आदि के लिए इसे कांस्टेबल के प्रभार में रखा जाता है। पुलिस थाना, विशेषकर शहरों तथा महानगरीय क्षेत्रों, का प्रभारी अधिकारी पुलिस निरीक्षक (पुलिस इंस्पेक्टर) होता है। दूसरे क्षेत्रों में भी क्षेत्रफल, जनसंख्या, अपराध अथवा कानून व्यवस्था की समस्या के अनुसार बड़े पुलिस थाने का प्रभारी पुलिस इंस्पेक्टर को बनाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों अथवा छोटे पुलिस थाने में थाना प्रभारी अधिकारी पुलिस उप–निरीक्षक (सब–इंस्पेक्टर) होता है।

राज्य
↓
जोन
↓
रेंज
↓
जिला
↓
उपमंडल
↓
सर्किल
↓
थाना

13. खंड 3 पुलिस अधिनियम, 1861

पुलिस अधिकारियों के रैंक-बैज़

प्रत्येक पुलिस अधिकारी को अपनी वर्दी में अपना नेमप्लेट लगाना होता है। उसकी वर्दी पर लगे बैज़ से उसके रैंक की पहचान की जा सकती है। रैंक के बैज़ नीचे दर्शाए गए हैं :-

पुलिस महानिदेशक
क्रास तलवार, बैटन और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह

पुलिस महानिरीक्षक
क्रास तलवार,
बैटन और एक स्टार

पुलिस उप-महानिरीक्षक
राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह और तीन स्टार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
(सलेक्शन ग्रेड)
राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह और दो स्टार

पुलिस अधीक्षक
राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह और एक स्टार

एडीशनल एस. पी.

अपर पुलिस अधीक्षक
राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह

सहायक/उप-पुलिस अधीक्षक
तीन स्टार

एसिस्टेंट/ डी. एस. पी.

इंस्पेक्टर

निरीक्षक
तीन स्टार, 1/2 इंच चौड़ी आधी लाल और आधी नीले रंग की समतल पट्टी, जिसमें लाल पट्टी स्टार की ओर हो

उप-निरीक्षक
दो स्टार तथा 1/2 इंच चौड़ी आधी लाल और आधी नीले रंग की समतल पट्टी, जिसमें लाल पट्टी स्टार की ओर हो

एस. आई.

ए. एस. आई.

सहायक उप-निरीक्षक
एक स्टार और 1/2 इंच चौड़ी आधी लाल और आधी इंच रंग की समतल पट्टी, जिसमें लाल पट्टी स्टार की ओर हो

हेड कांस्टेबल
कंधे के उपरी भाग पर तीन पट्टी

एच. सी.

प्रत्येक पुलिस थाने के अंतर्गत पुलिस चौकियां गठित की गई हैं, विशेषकर ऐसे थाने में, जिनका क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के अनुसार अधिकार क्षेत्र काफी बड़ा है ताकि पुलिस द्वारा अपराध पर पकड़ मजबूत हो और वह अपराधियों तक शीघ्र पहुंच सके तथा जनता को पुलिस की सहायता आसानी से मिल सके।

पुलिस बल का क्षेत्र स्थापन (फील्ड इस्टैबलिशमेंट)

पुलिस महानिदेशक (डी.जी.पी.) – (राज्य पुलिस बल का प्रभारी)

↓

अपर पुलिस महानिदेशक (एडिशनल डी.जी.पी)

↓

पुलिस महानिदेशक (आई.जी.पी.) – (एक जोन का प्रभारी, जिसमें कुछ रेंज शामिल होते हैं)

↓

पुलिस उप–महानिरीक्षक (डिपुटी आई.जी.पी.) – (एक रेंज का प्रभारी जिसमें कुछ जिले होते हैं)

↓

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एस.एस.पी.) – (बड़े जिलें का प्रभारी)
पुलिस अधीक्षक (एस.पी.) – (जिला का प्रभारी)

↓

अपर पुलिस अधीक्षक (एडिशनल एस.पी.)

↓

सहायक/उप–पुलिस अधीक्षक (ए.एस.पी./डी.एस.पी.) – (जिला में एक उपखंड का प्रभारी)

↓

पुलिस निरीक्षक (इंस्पेक्टर) – (पुलिस थाना का प्रभारी)

↓

पुलिस उप–निरीक्षक (एस.आई.) – (एक छोटे थाने का प्रभारी)

↓

पुलिस सहायक उप–निरीक्षक (ए.एस.आई.) – (पुलिस थाने का कर्मचारी)

पुलिस महानिरीक्षक

↓

पुलिस हैड–कांस्टेबल (एच.सी.) – (पुलिस थाने का कर्मचारी)

↓

पुलिस कांस्टेबल – (पुलिस थाने का कर्मचारी)

दिनांक मार्च 2008 तक देश में विभिन्न स्तरों तक क्षेत्र इकाइयों[14] की संख्या निम्नलिखित थी :

पुलिस इकाइयों की संख्या		
जोन	–	43
रेंज	–	166
जिला	–	666
उपखंड	–	1701
सर्किल	–	2457
पुलिस थाना	–	12702
पुलिस आऊटपोस्ट	–	7284

जिला स्तर पर दोहरी नियंत्रण प्रणाली

पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 3 के अनुसार राज्य पुलिस बल पर राज्य सरकार का नियंत्रण होता है। धारा 4 के अंतर्गत जिला स्तर पर दोहरी नियंत्रण प्रणाली स्थापित की गई है। इसके अनुसार पुलिस बल पुलिस जिला अधीक्षक के अंतर्गत होता है परन्तु वह जिला मजिस्ट्रेट के ''साधारण नियंत्रण और निदेश'' के अध्यधीन है। जिला मैजिस्ट्रेट एक व्यावसायिक व्यक्ति नहीं होता था बल्कि एक साधारण प्रशासक होता था जिसके कार्यक्षेत्र में न सिर्फ कार्यपालिका बल्कि कुछ न्यायपालिका सम्बन्धी कार्य भी शामिल थे। ऐसी व्यवस्था जानबूझकर की गई क्योंकि भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के लिए जिला प्रमुख के

14. स्रोत, भारत में पुलिस संगठन सम्बन्धी आंकड़े, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, मार्च, 2008

पुलिस हेड–कांस्टेबल

पुलिस की जिला और आयुक्त प्रणाली के बीच दो मुख्य अन्तर है।

पुलिस आयुक्त सिर्फ अपने संगठन के विभागीय प्रमुख तथा सरकार के अधीन कार्य करता है किसी अन्य संगठन के अधीन नहीं, जबकि जिला पुलिस अधीक्षक जिला मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण और निदेश के अंतर्गत कार्य करता है।

जिला अथवा राज्य पुलिस बल के प्रमुख के विपरीत, पुलिस आयुक्त में आम पुलिस शक्तियों के अतिरिक्त विनियमन, नियंत्रण और लाइसेंस, आदि की मजिस्ट्रेट की शक्ति निहित है।

रूप में, जिला मजिस्ट्रेट के कार्य को अनिवार्य समझा गया था। अंग्रेजों ने यह महसूस किया था कि इस देश में अपने शासन को कायम रखने के लिए उनके पास एक ऐसा पुलिस बल होना चाहिए जो कार्यपालिका के पूर्णतया अधीन हो। इस प्रकार स्थानीय स्तर पर दोहरी नियंत्रण प्रणाली आरंभ की गई – एक, जिला में पुलिस बल के प्रमुख के अधीन और दूसरी, जिला के मुख्य कार्यपालक अर्थात् जिला मजिस्ट्रेट के अधीन।

पुलिस आयुक्त प्रणाली

जब जिला स्तर पर दोहरी नियंत्रण प्रणाली लागू की गई थी तब उस समय भी इसका काफी विरोध हुआ था। वास्तव में ब्रिटिश सरकार ने यह महसूस किया था कि इस प्रकार की जिला प्रणाली ऐसे महानगरीय क्षेत्रों में कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती जहां भिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। अतः कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और हैदराबाद जैसे कुछ महानगरीय क्षेत्रों मं एक अन्य प्रणाली अर्थात् पुलिस आयुक्त प्रणाली शुरू की गई। इस प्रणाली के अंतर्गत शहर/क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस आयुक्त को सौंपी गई।

पिछली शताब्दी के आरंभ में चार शहरों में आयुक्त प्रणाली विद्यमान थी, अब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् इस प्रणाली को अनेक शहरों में लागू किया गया। अब यह प्रणाली निम्नलिखित शहरों में लागू हैं :

- आन्ध्र प्रदेश – हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम और साईबराबाद
- गुजरात – अहमदाबाद, आणद, जूनागढ़, राजकोट, सूरत और बड़ोदरा
- कर्नाटक – बंगलौर, धारवाड, हुबली और मैसूर
- केरल – कोच्चि, कोझीकोड और तिरूवनन्तपुरम
- महाराष्ट्र – औरंगाबाद, अमरावती, मुम्बई, नागपुर, नासिक, पुणे, शोलापुर ठाणे और नवी मुंबई

- तमिलनाडू – चेन्नई, कोयम्बतूर, मदुरे, सेलम तिरूनलवेल्ली और त्रिच्ची
- संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली
- पश्चिम बंगाल – कोलकाता

पुलिस मुख्यालय स्थापना (इस्टैबलिशमेंट)

फील्ड इस्टैबलिशमेंट के अतिरिक्त पुलिस के कार्यो का वितरण प्रयोजन–विशेष के अनुसार भी किया जाता है। पुलिस कार्य की विभिन्न पहलुओं की देखरेख के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, पुलिस महानिदेशक की सहायता करते हैं।

नीचे उत्तर प्रदेश राज्य में पुलिस मुख्यालय की संरचना दी गई है जिसका पुलिस बल भारत के सभी राज्यों में दूसरा सबसे बड़ा पुलिस बल है।

उत्तर प्रदेश पुलिस का संगठनात्मक ढ़ाँचा

- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश मुख्यालय, लखनऊ
- अपर महानिदेशक कार्मिक
- अपर महानिदेशक कानून व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण
  - विशेष कार्य बल
  - राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो
  - फिंगर प्रिंट ब्यूरो
- अपर महानिदेशक – मानवाधिकार
- महानिदेशक – पुलिस प्रशिक्षण, लखनऊ
- डा॰ बी॰ आर॰ अम्बेडकर पुलिस अकादमी
- पुलिस अग्निशमन सेवा, उ॰ प्र॰
- पुलिस वाहन निदेशालय
- पुलिस तकनीकि सेवा
  - पुलिस वाहन परिवहन
  - फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला
  - पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र

- पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, इलाहबाद
- अपराध अन्वेषण विभाग
- केन्द्रीय रेलवे पुलिस
- आर्थिक अपराध शाखा पुलिस
- प्रोविंशियल आर्मड कास्टेबुलरी पुलिस
- भ्रष्टाचार रोधी संगठन पुलिस
- पुलिस दूरसंचार
- आसूचना / सुरक्षा पुलिस
- विशेष जाँच पुलिस
- पुलिस सी. आई. डी. (सहकारिता/कृषि ब॰ क्ष)

पुलिस के अन्य विभाग

- उत्तर प्रदेश निगरानी विभाग
- उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा विभाग

अपराध जांच विभाग (सी.आई.डी.)

अपराध अन्वेषण विभाग अथवा सी.आई.डी., जिस नाम से यह लोकप्रिय है, पुलिस बल की एक विशेषज्ञ शाखा है। इसके दो मुख्य अंग है – अपराध शाखा और विशेष शाखा। सी.आई.डी. का प्रभारी अधिकारी आमतौर पर दोनों शाखाओं के कार्यों का निरीक्षण करता है। हालांकि कुछ राज्यों में विशेष शाखा के लिए एक अलग प्रभारी अधिकारी होता है।

अपराध शाखा राज्य पुलिस की सबसे महत्वपूर्ण जांच एजेन्सी होती है। यह नकली नोट, व्यावसायिक धोखाधड़ी, आपराधिक गैंग की गतिविधियों, अंतर जिला अथवा अंतर राज्यीय महत्व के अपराधों आदि जैसे कुछ विशेष अपराधों की जांच करता है। वास्तव में जब कुछ बड़े अपराध सुलझ नहीं पाते अथवा जब जनता इस प्रकार के मामलों की जांच स्थानीय पुलिस से न कराकर किसी अन्य एजेन्सी से कराने की मांग करती है तब सरकार अथवा पुलिस बल का प्रमुख मामले को जांच के लिए जिला पुलिस से सी.आई.डी. को स्थानांतरित करता है।

विशेष शाखा सुरक्षा की दृष्टि से खुफिया जानकारी इक्ट्ठा करता है, उनकी मिलान करता है तथा उन्हें उचित स्थानों तक पहुंचाता है। इसकी मुख्य भूमिका व्यक्तियों, पार्टियों और संगठनों की उग्रवादी गतिविधियों पर नजर रखना तथा सभी सम्बद्ध विभागों को इसकी जानकारी देते रहना है।

सशस्त्र पुलिस

राज्य पुलिस बल के दो अंग होते हैं – सिविल पुलिस और सशस्त्र पुलिस। सिविल पुलिस का मुख्य कार्य अपराध पर नियंत्रण करना है जबकि सशस्त्र पुलिस मुख्यतया कानून व्यवस्था पर नियंत्रण रखती है। सिविल पुलिस में मुख्यतया जिला पुलिस बल, रेंज, जोन और राज्य पुलिस मुख्यालय स्तर पर पर्यवेक्षक तथा अपराध, आसूचना और प्रशिक्षण की समस्याओं से निपटने के लिए विशेषज्ञ शाखा शामिल होती है।

जिला पुलिस बल में सशस्त्र रिजर्व पुलिस भी होती है जिनका उपयोग मुख्यतया सशस्त्र गार्ड और एस्कार्ट के लिए किया जाता है। कभी–कभी आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने में राज्य सशस्त्र पुलिस के घटनास्थल पर आने से पूर्व भी उनकी तैनाती की जाती है। जिले की सशस्त्र रिजर्व पुलिस को जिला सिविल पुलिस बल का एक भाग माना जाता है।

सशस्त्र पुलिस बटालियनों में रहती है जिनका उपयोग आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए असाधारण रिजर्व के रूप में किया जाता है।

1.1.2006 की तारीख तक राज्य सशस्त्र पुलिस वालों की कुल संख्या 396,032 थी। विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 8 कम्पनियों के अतिरिक्त 343 राज्य सशस्त्र

औपचारिक वर्दी में कांस्टेबल, जम्मू और कश्मीर सशस्त्र पुलिस

पुलिस बटालियन थे।[15]

राज्य की प्रत्येक सशस्त्र पुलिस बटालियन कम्पनियों में विभाजित होती हैं। आमतौर पर एक बटालियन में 6 सर्विस कम्पनियां होती हैं। एक कम्पनी प्लाटून में विभाजित होता है और प्लाटून सेक्शन में विभाजित होता है। साधारणतया एक प्लाटून 3 सेक्शन से बनता है और 3 प्लाटून से एक कम्पनी बनती है।

सशस्त्र पुलिस बटालियन की रैंक संरचना सिविल पुलिस की रैंक संरचना से भिन्न होती है। बटालियन का प्रमुख कमांडिंग ऑफिसर या कमांडेंट कहलाता है। आमतौर पर कमान में उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति होता है जिसे डिपुटी कमांडेंट कहते हैं। अधिकतर मामलों में असिस्टेंट कमांडेंट या सूबेदार रैंक का अधिकारी एक कम्पनी की कमान संभालता है, जो पुलिस उपाधीक्षक (डी.एस.पी.) या इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी के समतुल्य होता है। एक इंस्पेक्टर /सब–इंस्पेक्टर एक प्लाटून का कमान संभालता है और हेड–कांस्टेबल एक सेक्शन का प्रभार संभालता है। हेड–कांस्टेबल के बाद कमान में दूसरा व्यक्ति नायक कहलाता है। कुछ मामलों में नायक और कांस्टेबल के बीच लांस–नायक का रैंक होता है।

15. विभिन्न राज्यों में सशस्त्र पुलिस बटालियनों की संख्या निम्नलिखित थी :– आन्ध्र प्रदेश–15, अरूणाचल प्रदेश–4, असम–25, बिहार–15, छत्तीसगढ़–11, गुजरात–11, हरियाणा–5, हिमाचल प्रदेश–6, जम्मू–कश्मीर–20, झारखंड–11, कर्नाटक–10, केरल–8, मध्य प्रदेश–21, महाराष्ट्र–13, मणिपुर–13, मेघालय–4, मिजोरम–5, नागालैंड–12, उड़ीसा–9, पंजाब–20, राजस्थान–12, सिक्किम–2, तमिलनाडु–15, त्रिपुरा–11, उत्तर प्रदेश–32, उत्तरांचल–3, पश्चिम बंगाल–16, दिल्ली–13, चंडीगढ़ में 3 कम्पनियां और पांडिचेरी में 5 कम्पनियां।

सशस्त्र पुलिस की रैंक संरचना

अंतर्राष्ट्रीय महिला पुलिस एसोसिएशन ने एक ऐसे विश्व की कल्पना की है जहां आपराधिक न्याय व्यवसाय में कार्यरत महिलाओं के साथ उन एजेंसियों द्वारा उचित निष्पक्ष और समानतापूर्वक व्यवहार हो।

महिला पुलिस कर्मी कुल पुलिस कर्मियों की संख्या का 2.9 प्रतिशत है।

महिला पुलिस कांस्टेबल, त्रिपुरा पुलिस

डा. किरण बेदी 1972 में भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) में शामिल होने वाली पहली महिला थी।

सरकारी रेल पुलिस से रेलवे सुरक्षा बल (आर.पी.एफ.) का भ्रम नहीं होना चाहिए जो कि मुख्यतः रेल सम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए गठित और सम्पोषित एक केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। आर. पी.एफ. रेल मंत्रालय भारत सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है जबकि जी.आर.पी. राज्य पुलिस बल का एक अंग है।

महिला पुलिस कर्मी

सिर्फ दमन और दीव के पुलिस बल को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की पुलिस बलों में महिला पुलिस शामिल हैं। कुछ राज्यों/शहरों में ऐसे थाना स्थापित करने का प्रयोग किया गया है जो सिर्फ महिला पुलिस कर्मियों द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित हों।

महिला पुलिस कर्मियों का अधिकतर उपयोग महिलाओं और बच्चों के मामलों से निपटने जैसे विशेष कार्य करने के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग (एन.पी.सी.) ने इस संदर्भ में यह कहा है कि महिला पुलिस को पुलिस सम्बन्धी विभिन्न कार्य क्षेत्रों में समान भूमिका नहीं दी गई है तथा आयोग ने यह सिफारिश की है कि महिलाओं को पुलिस अन्वेषण कार्यों में ज्यादा सक्रिय और प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाए।

तथ्य और आंकड़े

दिनांक 1.1.2006 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में महिला पुलिस कर्मियों की कुल संख्या 45,876 थी। इनमें से 9 पुलिस महानिरीक्षक, 4 पुलिस उप-महानिरीक्षक, 89 पुलिस अधीक्षक और 215 सहायक पुलिस अधीक्षक/उप-पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्य कर रही थीं। इसके अतिरिक्त 513 इंस्पेक्टर, 2937 सब-इंस्पेक्टर, 1270 एसिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर, 4087 हेड कांस्टेबल और 36,752 कांस्टेबल के पद पर थी। पुलिस महानिदेशक के पद पर पहुँचने वाली कंचन चौधरी भट्टाचार्या किसी भी राज्य की प्रथम महिला थी, जो राज्य के उच्चतम पुलिस पद प्राप्त की। वह 1973 की भारतीय पुलिस सेवा (IPS) की आफिसर थी एवं वह उत्तराखण्ड के पुलिस महानिदेशक के पद 2007 में रिटायर हई।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या में पिछले दशक में इस प्रकार वृद्धि हुई :

एक दशक में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या में वृद्धि[16]

वर्ष	राज्यों/संघ क्षेत्रों में पुलिस की संख्या	
	कुल संख्या	महिला पुलिस कर्मियों की संख्या
1991	11,52,586	13,654
1992	11,65,872	13,334
1993	12,34,674	14,107
1994	13,06,268	14,467
1995	13,40,983	16,209
1996	13,51,047	18,174
1997	13,46,940	18,690
1998	13,74,608	20,428
1999	14,13,602	21,319
2000	14,79,024	24,713
2002	14,93,321	31,446
2006	15,79,697	45,886

रेल पुलिस

रेलों में पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकारी रेल पुलिस (जी.आर.पी.) की है। रेलों में अपराध पर नियंत्रण उनकी मुख्य जिम्मेदारी है। हालांकि जी.आर.पी. राज्य पुलिस बल का ही एक हिस्सा होती है फिर भी इसका खर्च राज्य सरकार और रेलवे दोनों वहन करते हैं। अपर महानिदेशक अथवा पुलिस महानिरीक्षक रैंक का अधिकारी जी.आर.पी. के कार्य का पर्यवेक्षण करता है। किसी रेलवे पुलिस जिले के अधीक्षक का क्षेत्राधिकार अनेक जिलों में फैला हो सकता है।

16. श्रोत : राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित ''भारत में अपराध'' तथा पुलिस शोध और विकास ब्यूरो द्वारा प्रकाशित ''भारत में पुलिस संगठन सम्बन्धी आंकडे।''

कलकत्ता में 1897 में फिंगर प्रिंट ब्यूरो का गठन फारेंसिक विज्ञान क्षेत्र में एक काफी महत्वपूर्ण विकास था। यह विश्व का सबसे पहला फिंगर प्रिंट ब्यूरो था।

विभिन्न राज्यों में फारेंसिक साइंस लैबोरेट्रियों की स्थापना

- पश्चिम बंगाल (1952)
- महाराष्ट्र (1958)
- तमिलनाडु (1959)
- असम (1964)
- बिहार (1964)
- मध्य प्रदेश (1965)
- केरल (1968)
- उडीसा (1968)
- राजस्थान (1969)
- कर्नाटक (1970)
- आन्ध्र प्रदेश (1974)
- गुजरात (1974)
- हरियाणा (1974)
- जम्मू और कश्मीर (1974)
- उत्तर प्रदेश (1976)
- पंजाब (1981)
- हिमाचल प्रदेश (1989)
- मणिपुर (1989)
- मेघालय (1989)
- दिल्ली (1994)

फारेंसिक साइंस लैबोरेट्री

आजादी के पूर्व देश में पूर्णकालिक फारेंसिक सांइस लैबोरेट्री नहीं थी। अंग्रेजी शासन के दौरान ज्यादा फारेंसिक कार्य आगरा, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास स्थित भारत सरकार के केमिकल एग्जामिनर्स, फिंगर प्रिंट ब्यूरो, भारत सरकार के सेरोलॉजिस्ट, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ एक्स्पलोसिव, विवादित कागजातों के सरकारी परीक्षकों और सी.आई.डी. की प्रयोगशालाओं द्वारा किए जाते थे।

पहली रसायन परीक्षण प्रयोगशाला बंगाल सरकार द्वारा 1853 में स्थापित की गई थी। नागपुर में मुख्य विस्फोटक निरीक्षक की नियुक्ति के साथ विस्फोटक विभाग अस्तित्व में आया। इम्पीरियल सेरोलॉजिस्ट के अधीन 1910 में कलकत्ता में एक सेन्ट्रल सेरोलाजिस्ट लैबोरेट्री स्थापित की गई थी। आजादी के बाद, राज्य सरकारों ने एक पूर्णकालिक फारेंसिक साइंस लैबोरेट्री स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की थी। अब लगभग सभी बड़े राज्यों के पास इस प्रकार की प्रयोगशाला हैं। एक औसत राज्य फारेंसिक साइंस लैबारेट्री बैलेस्टिक, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, कागजात, विस्फोटक, भौतिक विज्ञान फोटोग्राफी, सेरोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी, जैसे विभिन्न विभागों अथवा शाखाओं में विभक्त होता है। अधिकतर राज्यों में, फारेंसिक साइंस लैबोरेट्री राज्य पुलिस बल के प्रमुख के अधीन कार्य करता है। सिर्फ गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में ये प्रयोगशालाएं सीधे राज्य सरकारों के गृह विभाग के अधीन कार्य करती हैं। कुछ राज्य फारेंसिक साइंस लैबोरेट्रीयों ने अपनी क्षेत्रीय, जिला और मोबाइल लेबोरेट्रिया भी स्थापित की हैं।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत पांच फारेंसिक साइंस लैबोरेट्रियां और विवादित कागजातों के सरकारी निरीक्षक के तीन कार्यालय हैं।

पुलिस की कर्तव्य और जिम्मेदारियां

1861 के पुलिस अधिनियम में पुलिस अधिकारियों के निम्नलिखित कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं :

1. किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानूनी तौर पर जारी सभी आदेशों और वारंटों का अनुपालन करना और उन्हें लागू करना;
2. लोक शांति भंग करने से सम्बन्धित खबरों को एकत्रित करना और उसे संसूचित करना;
3. अपराध और लोक अशान्ति को होने से रोकना;
4. मुजरिमों को ढूंढ़ना और उन्हें व्याय तक पहुंचाना; तथा
5. उन सभी व्यक्तियों को बंदी बनाना, जिन्हें पकड़ने के लिए उन्हें कानूनी तौर पर प्राधिकृत किया गया है तथा जिन्हें पकड़ने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं।

मॉडल पुलिस अधिनियम (एक्ट) 2006 में 1861 के अधिनियम में निरधारित चार्टर से भी अधिक जिम्मेदारियाँ निरधारित की गई हैं जिसमें न सिर्फ अब तक पुलिस संगठन में हुए परिवर्तनों बल्कि अब सामाजिक राजनीतिक माहौल को भी ध्यान में रखा गया है, जिसमें इन संगठनों को कार्य करना होता है। मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 में निम्नलिखित कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं :[17]

1. निष्पक्षता के साथ कानून का समर्थन करना एवं लागू करना और समाज के सभी वर्ग के लोगों के जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, मानवाधिकार एवं सम्मान को रक्षा प्रदान करना।
2. लोक व्यवस्था को बढ़ावा देना और उसे बनाए रखना।
3. आन्तरिक सुरक्षा को बनाए रखना, आतंकी कार्यवाई को रोकना एवं सांप्रदायिक तनाव को नियंत्रित करना।
4. सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, सड़क, रेलवे, पुलें, महत्त्वपूर्ण संस्थापन इत्यादि की किसी भी आक्रमण अथवा हिंसा से सुरक्षा करना।

17. मॉडल पुलिस अधिनियम, 2006, धारा 57,58

अनुच्छेद–1 : कानून प्रवर्तन अधिकारी समुदाय की सेवा कर तथा गैरकानूनी गतिविधियों से सभी व्यक्तियों की सुरक्षा कर कानून द्वारा उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों का सर्वदा निर्वहन करेंगे जो अपने व्यवसाय के लिए अपेक्षित उच्च स्तर की जिम्मेदारियों के अनुरूप होगा।

अनुच्छेद–2 : कानून प्रवर्तन अधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान मनुष्यों की गरिमा का सम्मान करेंगे और उनकी सुरक्षा करेंगे तथा सभी व्यक्तियों के मानवाधिकारों को बनाए रखेंगे।

अनुच्छेद–3 : कानून प्रवर्तन अधिकारी बल का केवल अत्यधिक आवश्यक परिस्थिति में ही प्रयोग करेंगे तथा उतने ही बल का प्रयोग करेंगे जितना उनके कर्तव्यों के निर्वहन में आवश्यक हो।

अनुच्छेद–4 : कानून प्रवर्तन अधिकारियों के अधीन गोपनीय प्रकृति के मामले तब तक गोपनीय रखे जायेंगे जब तक कि कर्तव्यों के निर्वहन अथवा न्याय की जरूरतों के लिए अन्यथा अनिवार्य न हो।

5. अपराध रोकना एवं विभिन्न माध्यमों से अपराध की घटनाओं को कम करना, और साथ ही साथ अपराध रोकने के लिए उपायों को लागू करने में अन्य सम्बध कार्यालयों की सहायता करना तथा उनके साथ सहयोग करना।
6. शिकायत को सही रूप में पंजीकृत करना; किसी भी माध्यम से जैसे ई–मेल, पोस्ट द्वारा प्राप्त शिकायतकर्ता की और शिकायत दर्ज होने की पावती देने के बाद शीघ्र कारवाई करना।
7. शिकायतकर्ता या अन्य माध्यम से अगर कोई 'कॉगनिजिबल' अपराध की सूचना प्राप्त होने पर उसे पंजीकृत कर जाँच करें, साथ शिकायतकर्ता को एफ. आई. आर. की एक प्रति सौंपते हुए, जहाँ उचित अपराधी को गिरफ्तार करें और अपराधी के ऊपर अभियोजन चलाने में मदद प्रदान करें।
8. समुदाय में सुरक्षा की भावना पैदा करना और उसे बनाए रखना और जहां तक मुमकिन हो सके झगड़ों को रोके तथा सौहार्द को बढ़ावा देना।
9. लोगों को प्राकृतिक या मानव–कृत घोर संकट के समय हर संभव मदद प्रदान करना और पुनर्वास में लगे अन्य विभागों व संस्थाओं को मदद करना।
10. ऐसे व्यक्ति की मदद करे जिनकी गंभीर रूप से शारीरिक या संपति की क्षति हुई हो, एवं कष्टदायक स्थिति से निकलने के लिए लोगों की सहायता दे सके।
11. व्यक्तियों तथा वाहनों के आवागमन को व्यवस्थित करना और सड़क एवं राजमार्ग के परिवहन को नियमानुसार करना।
12. सभी तरह के अपराध जिसके अन्तर्गत संप्रदायवाद, आतंकवाद, अतिवाद, सामाजिक अपराध, और अन्य विषय जो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जुड़ा हो शांति और अपराध को प्रभावित करने वाले मामलों से

सम्बन्धित खबर इक्ट्ठा करना और सूचाना को सभी सम्बन्धित विभागों को देना।

13. एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर कार्य की जिम्मेदारी लेते समय लावारिस संम्पत्ति का संरक्षण करें; नियत प्रक्रिया के अनुसार उसका निपटारा करें।

पुलिस की सामाजिक जिम्मेदारियाँ

1. प्रत्येक पुलिस अधिकारी जनता के साथ, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों के साथ भद्र व शिष्ट व्यवहार करेगा।
2. जनता का मार्ग दर्शन एवं सहायता करे, खासकर वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों, निर्धन एवं कोपित और शारीरिक एवं मानसिक रूप से लाचार व्यक्ति जो सड़क या अन्य सार्वजनिक स्थान पर निःसहाय स्थिति में जरूरत महसूस करे उन्हे मदद एवं सुरक्षा दें।
3. अपराध से पीड़ित सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को आवश्यक मदद दे, और खासकर इस बात का ध्यान रखे कि उन लोगों को आवश्यक मेडिकल मदद बिना कानूनी झंझट के मिले और उनकी क्षतिपूर्ति व कानूनी दावों को निपटाने में मदद करे।
4. इस को सुनिश्चित करे कि खासतौर पर सांप्रदायिक दंगों के दौरान पुलिस बिना किसी भेदभाव के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे एवं समाज के निचले वर्गो के मानवाधिकारों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे।
5. सार्वजनिक स्थानों व सार्वजनिक वाहनों में स्त्रियों व बच्चों की प्रताड़ना जैसे पीछा करना, गलत इशारे तथा टिप्पणी को रोके इत्यादिं
6. समाज के सभी सदस्यों विशेषकर स्त्रियाँ, बच्चे तथा निर्धन व्यक्तियों को आपराधिक तत्वों से सुरक्षा प्रदान करे।

अनुच्छेद–5 : कोई कानून प्रवर्तन अधिकारी न तो किसी प्रकार की यातना अथवा अन्य क्रूर कृत्यों, अमानवीय अथवा अपमानजनक अथवा दंडनीय व्यवहार करेगा या उसके लिए प्रेरित करेगा अथवा बरदाश्त करेगा और न ही कोई कानून प्रवर्तन अधिकारी यातना अथवा अन्य क्रूर कृत्यों, अमानवीय अथवा अपमानजनक व्यवहार या दंड को उचित ठहराने के लिए उच्च आदेश देगा अथवा युद्ध की स्थिति या युद्ध का खतरा, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा, आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता अथवा कोई अन्य सार्वजनिक आपात् स्थिति जैसी असाधारण परिस्थितियों का बहाना लेगा।

अनुच्छेद–6 : कानून प्रवर्तन अधिकारी अपनी अभिरक्षा में रखे व्यक्तियों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखेगा तथा जब कभी भी आवश्यक हो उसे तत्काल चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

अनुच्छेद–7 : कानून प्रवर्तन अधिकारी किसी भी प्रकार का भ्रष्ट कार्य नहीं करेगा। वे ऐसे सभी कार्यों का पुरजोर विरोध करेगा तथा उससे लडेगा।

अनुच्छेद–8 : कानून प्रवर्तन अधिकारी कानून तथा वर्तमान संहिता का सम्मान करेगा। वह कानून तथा संहिता के किसी प्रकार के उल्लंघन को अपनी पूरी क्षमता से रोकेगा तथा उसका पुरजोर विरोध भी करेगा। कानून प्रवर्तन अधिकारियों को यदि यह विश्वास होता है कि वर्तमान संहिता का उल्लंघन हुआ है अथवा इसका उल्लंघन होने वाला है तो वह इस मामले की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को देगा तथा जहां कहीं आवश्यक हो अन्य समुचित प्राधिकारियों अथवा संगठनों को देगा जिनमें पुनरीक्षा अथवा उपचारात्मक शक्ति निहित है।

7. हिरासत में व्यक्ति को सरकार द्वारा प्रदान की गई कानूनी सहायता के बारे में बताए और इसके सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को सूचित करे।

पुलिस के लिए आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट)

देश में पुलिस के लिए आचार संहिता पुलिस महानिरीक्षक के सम्मेलन में 1960 में स्वीकार की गई थी। इसे बाद में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया और सभी राज्य सरकारों को परिचालित किया गया। राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने इस विषय की जांच की तथा पिछली संहिता के खंड 12 में परिवर्तन की सिफारिश की। राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा यथा संस्तुत तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत और सभी राज्य सरकारों को परिचालित संहिता इस प्रकार है :

1. पुलिस कर्मियों की भारत के संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए तथा संविधान द्वारा प्रत्याभूत नागरिकों के अधिकारों को बनाए रखनी चाहिए।
2. पुलिस कर्मियों को समुचित रूप से अधिनियमित किसी भी कानून की उपयुक्तता और आवश्यकता पर प्रश्न नहीं करनी चाहिए। उन्हें भय अथवा पक्षपात, दुर्भावना अथवा प्रतिशोध के बगैर दृढ़ता और निष्पक्षता के साथ कानून को लागू करना चाहिए।
3. पुलिस कर्मियों को अपनी शक्तियों और कृत्यों की सीमाओं को समझना चाहिए और उन्हें बनाए रखना चाहिए। उसे न्यायपालिका के कार्यों में अनाधिकार हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए अथवा यह भी प्रतीत नहीं होना चाहिए कि वह हस्तक्षेप कर रहे है तथा किसी व्यक्ति के खिलाफ बदले की भावना से किसी मामले पर अदालत के निर्णय को दबाना नहीं चाहिए और दोषी व्यक्ति को दंड स्वयं नहीं देना चाहिए।
4. कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने अथवा व्यवस्था बनाए रखने में जहां तक व्यवहार्य हो पुलिस को अनुनय, सलाह और चेतावनी के तरीकों का ही उपयोग करना चाहिए। जब बल का प्रयोग अपरिहार्य

हो जाए तब उस परिस्थिति में न्यूनतम बल का ही प्रयोग करना चाहिए।

5. पुलिस का मुख्य कार्य अपराध और अव्यवस्था को रोकना है तथा उन्हें यह समझना चाहिए कि अपराध और अव्यवस्था दोनों की घटना न होने में ही उनकी कुशलता की परख होती है न कि इनसे निपटने में पुलिस कार्य के प्रत्यक्ष प्रमाण से।

6. पुलिस कर्मियों को यह अवश्य समझना चाहिए कि वे भी आम नागरिक हैं फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें समाज के हित में तथा उसकी ओर से उन कर्तव्यों का पूर्ण निर्वहन करने के लिए नियोजित किया गया है जिन्हें आमतौर पर प्रत्येक नागरिक को निर्वहन के लिए सौंपा जा सकता है।

7. पुलिस कर्मियों को यह महसूस करना चाहिए कि उनके कर्तव्यों का कुशल निर्वहन उन्हें जनता से प्राप्त सहयोग पर निर्भर करता है और यह सहयोग पुलिस द्वारा उनके आचरण और व्यवहार पर जनता का समर्थन प्राप्त करने और जनता का सम्मान और विश्वास हासिल करने और उसे बनाए रखने की उनकी क्षमता पर निर्भर करेगा।

8. पुलिस कर्मियों को सदैव अपने मन में लोगों के कल्याण की भावना रखनी चाहिए तथा उनके प्रति सहानुभूत और विचारशील होना चाहिए। उन्हें व्यक्तिगत सेवा और मैत्री के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए तथा सभी व्यक्तियों, उनकी सम्पत्ति और/अथवा सामाजिक हैसियत पर विचार किए बिना आवश्यक सहायता प्रदान करनी चाहिए।

9. पुलिस कर्मियों के लिए अपना कर्तव्य सर्वोपरि होना चाहिए तथा उन्हें खतरे, अनादर अथवा उपहास के समय शांत रहना चाहिए तथा दूसरों के जीवन की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए

1.1.2001 की तारीख को प्रति 10,000 की जनसंख्या पर 106 तथा प्रत्येक 100 वर्ग कि.मी. क्षेत्र पर 36.09 सिविल पुलिसकर्मी थे। कुल पुलिसकर्मियों की संख्या (सिविल तथा सशस्त्र) के संदर्भ में यह अनुपात प्रति 10000 की जनसंख्या पर 14.26 और प्रति 100 वर्ग कि. मी. क्षेत्र पर 49.08 थी।

पुलिस सुविधाएं

अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान काफी संख्या में पुलिसकर्मी मारे गए। गत वर्षों में 2003-2007 के दौरान लगभग 862 पुलिसकर्मियों ने अपनी जान गंवाई।

(स्रोत : गृह मंत्रालय)

प्रत्येक वर्ष 21 अक्तूबर को पुलिस स्मारक दिवस के रूप में मनाया जाता है।

तत्पर रहना चाहिए।

10. पुलिस कर्मियों को सदैव भद्र और शिष्ट होना चाहिए। उन्हें विश्वसनीय और निष्पक्ष होना चाहिए; उनमें गरिमा और साहस होना चाहिए तथा उन्हें चरित्रवान होना चाहिए और लोगों पर विश्वास करना चाहिए।

11. उच्च ईमानदारी पुलिस प्रतिष्ठा का मौलिक आधार है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस कर्मियों को अपनी निजी जिन्दगी को पूर्णतया स्वच्छ रखनी चाहिए, आत्म संयम बरतनी चाहिए तथा उनकी व्यक्तिगत और आधिकारिक जिन्दगी दोनों में विचार तथा कर्तव्यों में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए ताकि जनता उन्हें एक अनुकरणीय नागरिक समझे।

12. पुलिस कर्मियों को यह समझना चाहिए कि राज्य के लिए वे तभी पूर्णतया उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं जब वे पूर्ण अनुशासन में रहें, कानून के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करें तथा अपने अधिकारियों के कानूनी निर्देशों का स्पष्ट अनुपालन करें तथा पुलिस बल के प्रति पूर्णतया निष्ठावान हों तथा स्वयं को निरन्तर प्रशिक्षित रखें और अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए हर समय तैयार रहें।

13. पुलिस को एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राज्य के नागरिक के रूप में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से दूर रहना चाहिए तथा धार्मिक, भाषायी और क्षेत्रीय अथवा जातीय विविधता से उठकर भारत के सभी नागरिकों में सामंजस्य बढ़ाना चाहिए और भाईचारे की भावना पैदा करनी चाहिए तथा महिलाओं की गरिमा का तथा समाज के निर्धन वर्ग के लोगों का अनादर करने वाली कूप्रथाओं को त्यागना चाहिए।

पुलिस कर्मियों की संख्या

1 जनवरी, 2006 की तारीख तक राज्य पुलिस बलों में कुल पुलिस कर्मियों की संख्या 15,79,697 जिसमें असैनिक पुलिस कर्मियों की संख्या 1,183,665 और सशस्त्र पुलिस कर्मियों की संख्या 3,96,032 थी।

पुलिस कर्मियों की संख्या सभी राज्यों में अलग-अलग है। एक ओर जहां महाराष्ट्र पुलिस बल सबसे बड़ा (1,77,737) है, वहीं दादर और नागर हवेली का पुलिस बल सबसे छोटा (सिर्फ 199 पुलिस कर्मी) हैं।

1.1.2006 की तारीख के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिस बलों में पुलिस कर्मियों की स्वीकृत संख्या :[18]

क्रम सं. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सिविल पुलिस	सशस्त्र पुलिस	कुल संख्या	प्रति 10000 की जनसंख्या पर पुलिस कर्मियों की संख्या	प्रति 100 वर्ग कि.मी. क्षेत्र पर पुलिस कर्मियों की संख्या
1. आंध्र प्रदेश	71,791	19,082	91,082	11.37	33.11
2. अरूणाचल प्रदेश	3,029	2,689	5,718	49.12	6.83
3. असम	16,304	38,258	54,562	18.93	69.56
4. बिहार	56,016	15,481	71,497	7.92	57.94
5. छत्तीसगढ़	19,470	10,936	30,406	13.40	22.49
6. गोवा	3,841	631	4,472	29.46	120.80
7. गुजरात	50,395	13,516	63,911	11.73	32.60
8. हरियाणा	42,882	4,702	47,584	20.79	107.63
9. हिमाचल प्रदेश	8,837	5,863	14,700	22.97	26.40
10. जम्मू और कश्मीर	41,819	20,213	62,032	54.13	61.18
11. झारखंड	35,982	11,445	47,427	16.35	59.50
12. कर्नाटक	74,723	14,504	89,227	15.79	46.52
13. केरल	33,168	6,539	39,707	11.87	102.17
14. मध्य प्रदेश	53,111	21,200	74,311	11.21	24.11

18. भारत में पुलिस संगठन सम्बन्धी आंकडे, 2006 पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा प्रकाशित।

15. महाराष्ट्र	161,697	16,040	177,737	17.17	57.76
16. मणिपुर	5,640	10,835	16,475	64.68	73.79
17. मेघालय	6,302	3,932	10,234	41.60	45.63
18. मिजोरम	3,130	4,744	7,874	82.97	38.35
19. नागालैंड	8,890	11,070	19,960	94.06	120.39
20. उड़ीसा	29,355	9,634	38,989	10.03	25.04
21. पंजाब	52,175	19,732	71,907	27.82	142.78
22. राजस्थान	45,762	25,565	71,327	11.81	20.84
23. सिक्किम	2,530	1,489	4,019	69.77	56.64
24. तमिलनाडु	84,183	14,500	98,683	15.18	75.88
25. त्रिपुरा	10,902	12,779	23,681	69.60	225.83
26. उत्तर प्रदेश	138,509	33,756	172,265	9.44	71.50
27. उत्तरांचल	12,024	4,130	16,154	17.64	30.20
28. पश्चिम बंगाल	55,654	26,623	82,287	9.64	92.72
29. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2,183	718	2,901	74.38	35.17
30. चंडीगढ़	4,209	419	4,628	46.09	4059.65
31. दादर और नागर हवेली	111	88	199	8.12	40.53
32. दमन और दीव	264	-	246	13.89	219.64
33. दिल्ली	45,164	13,936	59,900	37.75	4039.11
34. लक्षद्वीप	349	-	349	52.87	1090.63
35. पांडिचेरी	2,482	764	3,246	31.36	676.25
सीटें भारत में	1,183,665	396,032	1,579,697	14.26	49.89

पुलिस कर्मियों की संख्या में वृद्धि

आजादी के पश्चात् पुलिस कर्मियों की संख्या में व्यापक वृद्धि हुई है। वर्ष 1947 में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों की कुल संख्या लगभग 3.81 लाख थी। वर्ष 2006 तक, यह संख्या बढ़कर 15.79 लाख हो गई।

पिछली दशकों में पुलिस कर्मियों की संख्या में वृद्धि[19]

वर्ष	सिविल पुलिस कर्मियों की संख्या	सशस्त्र पुलिस कर्मियों की संख्या	कुल संख्या
1947	238,638	142,550	380,918
1951	272,156	195,584	467,740
1961	299,750	226,399	526,149
1971	534,236	172,659	706,895
1981	692,132	205,698	897,830
1991	903,849	248,747	1,152,586
2000	1,098,471	380,553	1,479,024
2001	1,077,415	372,346	1,449,761
2002	1,146,250	347,071	1,493,321
2003	1,120,167	348,609	1,468,776
2004	1,143,516	352,760	1,496,276
2005	170,722	359,667	1,530,389
2006	1,183,665	396,032	1,579,697

1947–2006 की अवधि के दौरान पुलिसकर्मियों की संख्या में 414.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जबकि सिविल पुलिस की संख्या में 496.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई सशस्त्र पुलिसकर्मियों की संख्या में 277.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्तमान में कुल पुलिस बल में से सिविल पुलिसकर्मी 74.2 प्रतिशत तथा सशस्त्र पुलिसकर्मियों की संख्या 29.8 प्रतिशत है।

पुलिस पिरामिड

पुलिस बलों की संरचना पदों के अनुसार होती है जिसमें पुलिस कांस्टेबल और पुलिस महानिदेशक संगठन के दो छोर होते हैं। पुलिस संगठन का आधार काफी बड़ा होता है जिसमें कुल संख्या का लगभग 87.16 प्रतिशत कांस्टेबल व हैड कांस्टेबल होते हैं। इंस्पेक्टर, सब–इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब–इंस्पेक्टर जैसे उच्च अधीनस्थ पुलिस कर्मियों की संख्या कुल पुलिस कर्मियों की संख्या का लगभग 11. 51प्रतिशत होती हैं। डी.एस.पी./ ए.एस.पी से लेकर डी. जी. पी. रैंक तक के अधिकारियों की संख्या कुल पुलिस बल की संख्या का 0.88 प्रतिशत से भी कम होती हैं।

19. ''क्राइम इन इंडिया'' राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित तथा ''डाटा ऑन पुलिस आर्गेनाइजेशन इन इंडिया'' पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो द्वारा प्रकाशित और राष्ट्रीय पुलिस आयोग के रिकार्ड।

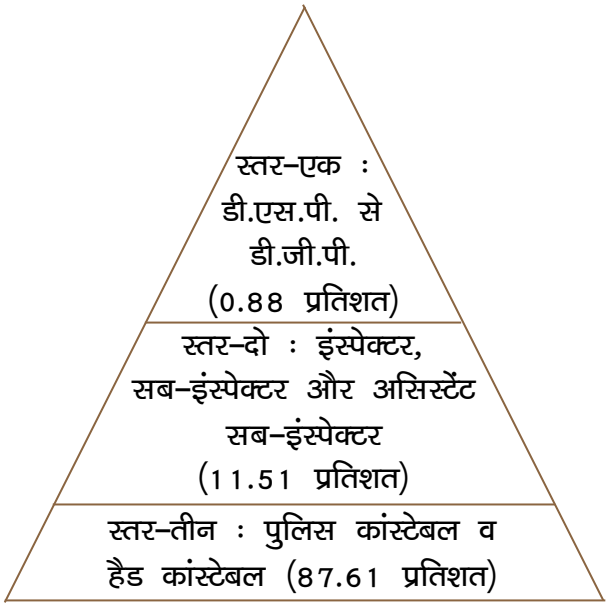

पुलिस बलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

1.1.2006 की तारीख तक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों की कुल संख्या अर्थात् 15.79 लाख में से 1.64 लाख अथवा 11 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 105,829 अर्थात लगभग 6.7 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के पुलिस कर्मी हैं।

पुलिस बलों के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

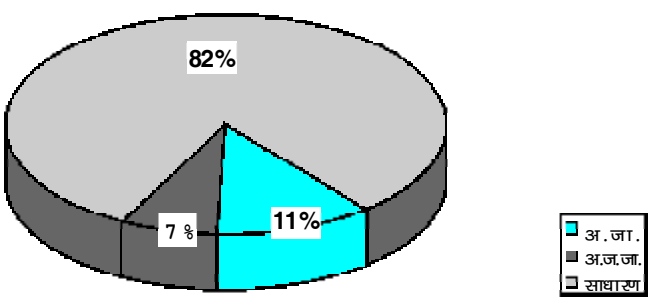

राज्यों में पुलिस बल पर व्यय

राज्य पुलिस बलों पर व्यय में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। वर्ष 1990–91 से 2000–2001 की दस वर्षों की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में पुलिस बलों पर किए गए व्यय में लगभग 280.06 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। विभिन्न वर्षों के दौरान किए गए वास्तविक व्यय की जानकारी निम्नलिखित तालिका में दी गई है :

यद्यपि पुलिस परिव्यय में काफी वृद्धि हुई है कुल सरकारी बजट के अनुपात के सदंर्भ में इसमें गिरावट आई है।

राज्य पुलिस पर व्यय[20]

वर्ष	राज्यों में पुलिस पर व्यय (करोड़ रुपए में)
1990–91	4045.8
1991–92	4543.66
1992–93	उपलब्ध नहीं
1993–94	6098.79
1994–95	6766.27
1995–96	7198.00
1996–97	7711.15
1997–98	9899.20
1998–99	12511.73
1999–00	14,922.22
2000–01	15,538.47
2001–02	16,004.06
2002–03	उपलब्ध नहीं
2003–04	उपलब्ध नहीं
2004–05	19,916.00
2005–06	21,070.00

पुलिस परिव्यय के आंकडों से यह पता चलता है कि धनराशि आवंटित करते समय कुछ क्षेत्रों को उचित प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। वर्ष 2005–06 में राज्यों में पुलिस परिव्यय का सिर्फ 1.17 प्रतिशत पुलिस प्रशिक्षण पर खर्च किया गया।

20. पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा प्रकाशित विभिन्न वर्षों के पुलिस संगठनों सम्बन्धी आंकडे से उद्धृत।

भर्ती

पुलिस संगठन भारत मे मानवशक्ति के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है। राज्य पुलिस बलों में पुलिस कर्मियों की संख्या लगभग 15.79 लाख है जबकि पांच केन्द्रीय अर्द्ध–सैनिक बलों (सी.सु.बल, के.रि.पु.बल, के.औ.सु.बल भा. ति.सी. पुलिस और असम राइफल्स) की कुल संख्या 7.20 लाख है। इस प्रकार पुलिस कर्मियों की कुल संख्या लगभग 20 लाख है।

आमतौर पर राज्य पुलिस बल में भर्ती तीन स्तरों पर की जाती हैं। ये स्तर हैं – कांस्टेबल, सब–इंस्पेक्टर/असिस्टेंट सब–इंस्पेक्टर और पुलिस उप–अधीक्षक (डी.एस.पी.)। इसके अतिरिक्त सहायक पुलिस अधीक्षक (ए.एस.पी.) के स्तर पर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की भर्ती की जाती है।

चूंकि पुलिस कांस्टेबल पुलिस बल में न्यूनतम रैंक का अधिकारी होता है इस रैंक में सीधी भर्ती की जाती है। अन्य रैंकों के लिए भर्ती या तो सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा की जाती है।

शैक्षिक अर्हताएं (एजुकेशनल क्वालिफिकेशन)

कांस्टेबल के रैंक पर भर्ती के लिए अधिकतर राज्यों ने हाई स्कूल की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निर्धारित की है, जबकि बिहार, नागालैंड और त्रिपुरा जैसे कुछ राज्यों ने प्राइमरी अथवा मिडिल क्लास पास होना ही न्यूनतम अर्हता निर्धारित की गयी है। पुलिस प्रशिक्षण सम्बन्धी समिति (1973) ने सिविल और सशस्त्र शाखाओं दोनों में कांस्टेबल के रैंक पर भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता के रूप में हाई स्कूल अथवा इसकी समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्णता की सिफारिश की थी। राष्ट्रीय पुलिस आयोग (एन.सी.पी.) 1980 ने इस सिफारिश की पुष्टि की थी। फिर भी इस बात के प्रमाण हैं कि कुछ राज्यों ने इन सिफारिशों को लागू नहीं किया है।

सब–इंस्पेक्टर और डी.एस.पी. के रैंक पर भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता सिर्फ आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम और त्रिपुरा को छोड़कर अनेक राज्यों में आमतौर पर स्नातक निर्धारित की गई है।

आयु सीमा

राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने यह सिफारिश की थी कि कांस्टेबल की भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 17 वर्ष और अधिकतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। मॉडल पुलिस एक्ट, 2006 में न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम 23 वर्ष रखी गई है। अधिकतर राज्यों में इन सिफारिशों को भी लागू नहीं किया गया है।

लगभग सभी राज्यों में न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 20 से 30 वर्ष निर्धारित है। सब–इंस्पेक्टर रैंक में भर्ती के लिए निर्धारित आयु में भिन्न राज्यों में काफी भिन्नता है। न्यूनतम आयु सीमा 19 से 21 वर्ष है जबकि अधिकतम आयु सीमा 24 से 31 वर्ष है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में सामान्य छूट दी जाती है।

शारीरिक योग्यता

भर्ती के लिए भिन्न–भिन्न शारीरिक योग्यता निर्धारित की गई है। कांस्टेबल के लिए न्यूनतम लम्बाई 165 से.मी. (5'5'') से 170.18 से.मी. (5'7'') है जिसमें पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए 2 से.मी. की छूट है। छाती की न्यूनतम चौड़ाई बिना फुलाए हुए 78.70 से. मी. (31'') और फुलाकर 86.3 से.मी. (34'') निर्धारित है।

भर्ती प्रक्रिया

कांस्टेबल की भर्ती जिला/बटालियन के आधार पर की जाती है। आमतौर पर भर्ती बोर्ड द्वारा की जाती है जिसका अध्यक्ष जिला का पुलिस अधीक्षक अथवा सशस्त्र पुलिस बटालियन का कमांडेंट होता है। राजस्थान तथा तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में चयन बोर्ड की अध्यक्षता डी.आई.जी. अथवा आई.जी. रैंक के एक अधिकारी द्वारा की जाती है। चयन प्रक्रिया में शारीरिक माप, कुशलता जांच, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, चिकित्सा जांच और पुलिस सत्यापन शामिल हैं।

आमतौर पर सब–इंस्पेक्टरों की भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा केन्द्रीय रूप से की जाती है। इस भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक कुशलता जांच तथा लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् मानसिक कुशलता जांच तथा साक्षात्कार शामिल है। पुलिस उपाधीक्षक के पद पर भर्ती लिखित परीक्षा के पश्चात् साक्षात्कार द्वारा की जाती है। आयोग उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर एक योग्यता सूची तैयार करता है और इसे सरकार को भेजता है।

भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अखिल भारत और अन्य सम्बद्ध सेवाओं के लिए आयोजित संयुक्त परीक्षा के आधार पर की जाती है। सर्वप्रथम एक प्रारंभिक परीक्षा ली जाती है जिसमें काफी उम्मीदवारों की छंटनी हो जाती है। उसमें उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल होते हैं। सफल उम्मीदवारों की साक्षात्कार के समय व्यक्तिगत परीक्षा ली जाती है। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर एक अंतिम सूची तैयार की जाती है।

सब–इंस्पेक्टरों और डी.एस.पी की सीधी तथा पदोन्नति दोनों प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती की जाती है। सीधी भर्ती के

लिए अलग राज्यों में अलग–अलग कोटा निर्धारित है परन्तु आमतौर पर यह 50 प्रतिशत होता है। भारतीय पुलिस सेवा में कैडर की संख्या का सिर्फ 66 और 2/3 प्रतिशत तक सीधी भर्ती की जाती है तथा 33 और 1/3 प्रतिशत पद राज्य पुलिस सेवा कैडर के अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।

विभिन्न वर्गों के उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती तथा पदोन्नति में पदों में आरक्षण का प्रावधान है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में सब–इंस्पेक्टर के स्तर के पदों में अनुसूचित जातियों के लिए 18 प्रतिशत, पिछड़े वर्गों के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों के लिए 20 प्रतिशत और स्वतंत्रता सेनानियों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। कांस्टेबल के पदों में राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए 21 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों के लिए 20 प्रतिशत तथा पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, होम गार्ड के लिए 5 प्रतिशत, खिलाड़ियों के लिए 2 प्रतिशत तथा स्वतंत्रता सेनानियों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

प्रशिक्षण

ज्यादातर राज्यों में उनके अपने पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज अथवा अकादमी है जिसमें सीधी भर्ती किए गए सब–इंस्पेक्टरों और पुलिस उप–अधीक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। कांस्टेबलों के प्रशिक्षण के लिए राज्यों के अपने प्रशिक्षण केन्द्र होते हैं।

इसके अतिरिक्त ज्यादातर केन्द्रीय पुलिस संगठनों ने स्वयं के प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं जो न सिर्फ अपने अधिकारियों के लिए मौलिक प्रशिक्षण आयोजित करता है बल्कि उनके तथा अन्य व्यक्तियों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है। पुलिस अनुसंधान और

प्रशिक्षण ब्यूरो के अधीन तीन केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं, जो जांच अधिकारियों को अपराधों की जांच के सम्बन्ध में आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के बारे में प्रशिक्षण देते हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन 'द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनलॉजी एंड फारेंसिक साइंस' न सिर्फ पुलिस अधिकारियों और फारेंसिक विज्ञान अधिकारियों को ही प्रशिक्षण देता है बल्कि दंड न्याय प्रणाली के अन्य एजेंसियों के अधिकारियों को भी प्रशिक्षण देता है।

पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा चार प्रकार के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पाठ्यक्रम इस प्रकार है :

1. नए भर्ती किए गए पुलिसकर्मियों के लिए प्रवेश स्तर के मूल पाठ्यक्रम
2. पदोन्नति पाने वाले उम्मीदवारों के लिए पदोन्नति पूर्व सेवा कालीन पाठ्यक्रम
3. पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (रिफ्रेशर कोर्स)
4. विशेष पाठ्यक्रम (स्पेशलाइज्ड कोर्स)

आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम (बेसिक ट्रेनिंग कोर्स)

कांस्टेबल

अवधि – 9 महीना

पढ़ाए जाने वाले विषय – पुलिस संगठन और प्रशासन, कानून, अपराध रोकथाम, कानून व्यवस्था बनाए रखना, आचार संहिता और व्यवहार, पुलिस–जन सम्पर्क, आदि।

बाह्य प्रशिक्षण – मूल शारीरिक प्रशिक्षण व्यायाम, अस्त्र तथा विस्फोटक, क्षेत्र कुशलता तथा रणनीति, प्रथम उपचार, दंगा नियंत्रण, निःशस्त्र लड़ाई आदि।

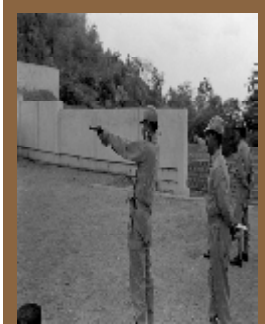

शस्त्र प्रशिक्षण पुलिस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का एक भाग है।

सब–इंस्पेक्टर/पुलिस उप–अधीक्षक

सीधी भर्ती किए सब–इंस्पेक्टरों और पुलिस उप–अधीक्षकों का प्रशिक्षण राज्यों के पुलिस प्रशिक्षण कालेजों में किया जाता है।

अवधि – 12 महीना

पढ़ाए जाने वाले विषय – आधुनिक भारत और पुलिस की भूमिका संगठन और प्रशासन, नेतृत्व और अधीक्षण, मानव व्यवहार, पुलिस प्रवृत्ति, पुलिस छवि और पुलिस जन सम्पर्क, कानून अपराध विज्ञान, पुलिस विज्ञान आदि।

बाह्य प्रशिक्षण (आऊटडोर ट्रेनिंग) – शारीरिक प्रशिक्षण, व्यायाम, शस्त्र प्रशिक्षण, भीड़ नियंत्रण, वाहनों का रख–रखाव और वाहन चालन, क्षेत्र कुशलता और रणनीति, निःशस्त्र लड़ाई, आदि।

पुलिस उप–अधीक्षक के लिए मौलिक विषय वही होते हैं परन्तु प्रबंधन और नेतृत्व गुणवत्ता विकसित करने पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाता है।

भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) अधिकारी

आई.पी.एस. में भर्ती किए गए अधिकारियों को उत्तरांचल के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के अन्य अधिकारियों के साथ आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाता है जिसके पश्चात् उन्हें हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण दिया जाता है। आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य उन संवैधानिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचे की जानकारी देना है जिसके अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को कार्य करना होता है तथा उन्हें प्रशासन के मूल सिद्धांतों तथा सरकारी तंत्रों, आदि के कार्य के सम्बन्ध में जानकारी देना है। इसके पश्चात् 44 सप्ताह का आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है जिसके बाद उन्हें किसी संगठन के साथ सम्बद्ध किया जाता है। अपनी क्षेत्र सहबद्धता और जिला

देश में कुल 162 पुलिस प्रशिक्षण संस्थान हैं, जिनमें 105 राज्यों के और 57 केन्द्र के हैं।

घुड़सवारी पुलिस प्रशिक्षण का एक भाग है।

पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा देश के 145 पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में से जून, 1995 में किए गए 100 संस्थानों के सर्वेक्षण से निम्नलिखित पता चलता है :-

- बाह्य प्रशिक्षण प्रणाली प्रमुखतया रेजिमेंटेड सैन्य प्रणाली पर आधारित है जिसमें समय-सीमा, एकरूपता और निर्धारित कार्य विधि और औपचारिक प्रक्रिया के अनुपालन पर बल दिया गया है।
- आंतरिक पाठ्यक्रमों में पठन-पाठन और विचारों के अदान-प्रदान के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है।
- बहुत कम प्रशिक्षण संस्थानों ने प्रशिक्षुओं के उपयोग के लिए प्रशिक्षण सामग्री प्रकाशित किया है।
- प्रशिक्षण की गुणवत्ता आमतौर पर खराब है।

प्रशिक्षण पूरी करने के पश्चात् ये अधिकारी दो सप्ताह के दूसरे चरण के प्रशिक्षण के लिए वापस अकादमी में आते हैं। नीचे रैंको के पुलिस अधिकारियों के लिए अगले रैंकों में पदोन्नति के लिए निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करना अनिवार्य है। इस प्रयोजन के लिए आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को पदोन्नति पूर्व पाठ्यक्रम कहा जाता है।

उपरोक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की व्यावसायिक कौशलता को और तीक्ष्ण बनाने तथा उनकी प्रवृत्ति में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए नियमित अंतराल पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

विभिन्न विषयों पर विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। ये पाठ्यक्रम पुलिस तथा अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं दोनों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। चूंकि भारतीय पुलिस सेवा का उद्देश्य अधिकारियों को एक कुशल प्रशासक और प्रबंधक बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करना है इसके लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रबन्धन, लोक प्रशासन तथा व्यवहारिक विज्ञान में विशेष संस्थानों की भी सहायता ली जाती है। विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में निम्नलिखित विषय शामिल होते हैं :

- वैज्ञानिक जांच की आधुनिक तकनीक
- अतिविशिष्ट व्यक्ति की सुरक्षा
- विद्रोह/आंतकवाद की समस्या का निपटान
- बम/विस्फोटकों की पहचान और उन्हें नष्ट करना
- कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन
- प्रबन्धन/लोक प्रशासन
- फारेंसिक विज्ञान
- सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी
- महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध किए गए अपराधों जैसे विशेष अपराध से निपटना
- मादक द्रव्य और स्थापक औषध

- प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण
- मानवाधिकार
- रेडियो वायरलेस
- यातायात
- कमांडो प्रशिक्षण
- आसूचना
- पर्वतारोहण
- साइबर अपराध
- क्षेत्र कुशलता/रणनीति

राज्य सरकार राज्य के पुलिस प्रशिक्षण में अपेक्षित सुधार लाने के लिए पर्याप्त संसाधन आंवटित करने में असफल रही है। पिछले दशक के दौरान पुलिस प्रशिक्षण पर खर्च का प्रतिशत कुल पुलिस परिव्यय का 1.09 से 1.41 रहा है:

पुलिस पर कुल परिव्यय की तुलना में पुलिस प्रशिक्षण पर परिव्यय का प्रतिशत[21]

वर्ष	कुल पुलिस परिव्यय (करोड रुपए में)	पुलिस प्रशिक्षण पर व्यय (करोड़ रूपए में)	कुल परिव्यय का प्रतिशत (करोड़ रुपए में)
1990-91	4045.84	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही
1991-92	4,296.27	50.12	1.17
1992-93	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
1993-94	6,098.79	79.70	1.36
1994-95	6,766.27	73.69	1.09
1995-96	7,198.00	79.22	1.10
1996-97	7,711.15	93.92	1.22
1997-98	9,899.20	116.80	1.18
1998-99	12,511.73	165.60	1.32
1999-00	14,922.22	210.64	1.41
2000-01	15,538.47	186.02	1.20
2001-02	16,004.06	181.55	1.13
2004-05	19916	234	1.17
2005-06	21070	248	1.17

21. पुलिस शोध तथा विकास ब्यूरो द्वारा प्रकाशित विभिन्न वर्षो के लिए पुलिस संगठन सम्बन्धी आंकडे से उद्धरण।

- 100 पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में से 23 में क्लासरूम नहीं है, 18 में ब्लैकबोर्ड नहीं है, 16 में ओवरहेड प्रोजेक्टर नहीं है, 57 में कांफ्रेस रूम नहीं है, 76 में सेमिनार या असेम्बली हॉल नहीं है, 20 में लाइब्रेरी नहीं है, 70 में ऑडिटोरियम नहीं है, 93 में सिम्यूलेशन सुविधाएं नहीं है, 95 में फारेंसिक इकाई नहीं है, 72 में कम्प्यूटर नहीं है तथा 4 में शौचालय सुविधाएं नहीं है।
- धन की निरन्तर कमी रहती है।

पुलिस व्यवस्था में केन्द्र सरकार की भूमिका

यद्यपि भारत के संविधान के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य का विषय है, संविधान में कतिपय उपबंध है जो केन्द्र सरकार को कुछ परिस्थितियों में हस्तक्षेप करने अथवा पुलिस मामलों में विशेष कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। यह केन्द्र सरकार का कर्तव्य है कि वह आन्तरिक अशान्ति से राज्य सरकार की सुरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे (अनुच्छेद 355)

सातवीं अनुसूची की सूची–1 के अनुसार संसद को निम्नलिखित विषयों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है :

- संघ के किसी सशस्त्र बल, जिसमें केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल शामिल हैं (प्रविष्टी 2क);
- केन्द्रीय आसूचना और अन्वेषण ब्यूरो (प्रविष्टी 8);
- संघ के अभिकरण और संस्थाएं, जो पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण, विशेष अध्ययन या अनुसंधान को बढ़ावा देने, अपराध के अन्वेषण या पता चलाने में वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता के लिए हैं (प्रविष्टी 65);
- अखिल भारतीय सेवाएं (प्रविष्टी 70); और
- किसी राज्य में पुलिस बल के सदस्यों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का उस राज्य की सहमति से अथवा उस राज्य के रेलवे क्षेत्र से बाहर विस्तारण (प्रविष्टी 80)

गृह मंत्रालय की भूमिका

भारत सरकार का गृह मंत्रालय देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सम्पूर्ण रूप से जिम्मेदार है तथा पुलिस से सम्बन्धित मामलों में निम्नलिखित कर्तव्य निभाता है :

- भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती तथा उसका प्रबन्धन;
- आसूचना ब्यूरो, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य केन्द्रीय पुलिस संगठनों का परिचालन;
- सिविल पुलिस की सहायता के लिए केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों का गठन, रखरखाव और तैनाती;
- देश में पुलिस बलों को एक स्वतंत्र संचार चैनल प्रदान करने के लिए एक पुलिस वायरलेस कोआर्डिनेशन निदेशालय का तथा पुलिस बलों का कम्प्यूटरीकरण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो का अनुरक्षण;
- जांच के लिए शोध प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना तथा उनका अनुरक्षण और विज्ञानिक सहायता प्रदान करना;
- देश में दांडिक न्याय प्रणाली के कार्यकरण के लिए कानून बनाना;
- अपराध, विधि व्यवस्था और अन्य सम्बन्धित मामलों में राज्य सरकारों को सलाह और सहायता प्रदान करना;
- विभिन्न राज्य पुलिस संगठनों के कार्यकलापों का समन्वयन; और
- राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

भारतीय पुलिस सेवा

आजादी के साथ भारत को अंग्रेजी हुकूमत से दो अखिल भारतीय सेवाएं – भारतीय सिविल सेवा (आई.सी.एस.),

भारतीय पुलिस (आई.पी.) प्राप्त हुई। बाद में इन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) और भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) का नाम दिया गया। इन सेवाओं को भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत गठित किया गया तथा इनके नियंत्रण के लिए एक विधान बनाया गया।

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित प्रतिस्पर्धा परीक्षा के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है। रिक्ति की उपलब्धता के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा के लिए चयनित अधिकारियों की संख्या प्रतिवर्ष अलग-अलग होती है और यह संख्या प्रतिवर्ष लगभग 65 होती है। चयन के पश्चात् अधिकारियों को राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

दिनांक 1.4.2001 की तारीख तक भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) संवर्ग की कुल स्वीकृत संख्या 3516 थी।

भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग का नियंत्रण भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। भारतीय पुलिस सेवा के चयनित अधिकारियों को विभिन्न राज्य का कैडर आवंटित किया जाता है। वे सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण करते हैं तथा 2 वर्ष की अवधि तक परीविक्षाधीन (प्रोबेशन) रहते हैं; जिसके पश्चात् सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में उनकी सेवा की पुष्टि की जाती है। भारतीय पुलिस सेवा के ही अधिकारियों को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा केन्द्रीय पुलिस बलों के वरिष्ठ पदों पर नियुक्त किया जाता है। राज्य में भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों की तैनाती, स्थानान्तरण अथवा पदोन्नति से सम्बन्धित सभी मामले विशेषतौर पर राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, जबकि केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्य कर रहे अधिकारियों का उसी प्रकार का प्रशासनिक नियंत्रण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को सेवा से सिर्फ केन्द्रीय सरकार द्वारा हटाया या मुअत्तल किया जा सकता है।

केन्द्रीय पुलिस संगठन (के.पु.स.)

केन्द्रीय सरकार ने अनेक पुलिस संगठन स्थापित किये हैं जिनका नाम केन्द्रीय पुलिस संगठन (के.पु.स.) है। के.पु.स. जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य करते हैं, मोटे तौर पर दो समूहों में विभाजित किये जा सकते हैं। एक संगठन में सशस्त्र पुलिस संगठन शामिल है, जिन्हें केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल कहा जाता है, जैसे कि असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। दूसरे समूह में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.), पुलिस वायरलेस समन्वय निदेशालय (डी.सी.पी.डब्ल्यू.), आसूचना ब्यूरो (आई.बी.), राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.), राष्ट्रीय अपराध और फारेंसिक विज्ञान संस्थान (एन.आई.सी.एफ.एस.) और राष्ट्रीय पुलिस अकादमी शामिल हैं। इन संगठनों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार हैः

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सी.पी.एम.एफ.)

असम राइफल्स

असम राइफल्स सबसे पुराना केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल है। इसका प्रमुख महानिदेशक होता है जो थल सेना से ले. जनरल के रैंक का एक अधिकारी होता है। यद्यपि इस संगठन का अपने अधिकारियों का एक कैडर है, ज्यादातर वरिष्ठ पद थल सेना से प्रतिनियुक्ति (डिपुटेशन) पर अधिकारियों द्वारा भरे जाते हैं।

यह बल 1965 तक विदेश मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य करता था। उसके बाद इसका नियंत्रण गृह मंत्रालय को हस्तांतरित किया गया और उस समय से यह गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्य कर रहा है। अभी यह बल असम राइफल्स अधिनियम द्वारा शासित होता है।

असम राइफल्स का गठन मुख्यतौर पर असम और अन्य पड़ोसी क्षेत्रों में अंग्रेजों की बस्तियों तथा चाय बागानों की सुरक्षा के लिए 1835 में 750 जवानों के एक छोटे यूनिट के रूप में किया गया था। मुख्यतौर पर प्रथम विश्व युद्ध में उनके सहयोग के कारण 1917 में इसे असम राइफल्स का नाम दिया गया।

इसके कार्य इस प्रकार हैं :

- अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा बनाए रखना;
- पूर्वोत्तर राज्यों तथा अन्य राज्यों को, जब कभी भी आवश्यकता हो, कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करना; और
- पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद रोकने के उपाय करना।

सन् 1965 के युद्ध के कारण भारत सरकार ने भारत–पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक विशेष बल गठित करने की आवश्यकता महसूस की।

सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.)

सन् 1965 के भारत–पाक युद्ध के पूर्व भारत–पाक सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी सीमा से लगे राज्यों के सशस्त्र पुलिस बलों की थी। सन् 1965 के युद्ध से भारत सरकार ने भारत–पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक विशेष बल गठित करने की आवश्यकता को महसूस किया। फलस्वरूप 1 दिसम्बर, 1965 को सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई। भारत–पाक सीमा पर तैनात सभी साढ़े पच्चीस राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियन का इस बल में विलय कर दिया गया। सीमा क्षेत्रों में बढ़ती सुरक्षा की समस्या के कारण इस बल का निरंतर और व्यापक विस्तार हुआ है।

सीमा सुरखा बल शांति और युद्ध दोनों समय में अपनी भूमिका निभाता है। इनके कार्य इस प्रकार हैं :

<u>शांति के समय</u>

- सीमा पार अपराधों तथा भारत की सीमा में अनाधिकृत रूप से प्रवेश और यहां से निकलने को रोकना;
- तस्करी और सभी गैर–कानूनी गतिविधियों को रोकना;
- सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों में सुरक्षा की भावना

सीमा सुरक्षा बल के जवानों को अक्सर संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में तैनात किया जाता है।

पैदा करना; और

- सिविल प्रशासन को लोक व्यवस्था बनाए रखने में मदद करना।

युद्ध के समय

- कम खतरे वाले क्षेत्र की तब तक रक्षा करना जब तक उस क्षेत्र में बड़ा आक्रमण न शुरू हो जाए; और
- महत्वपूर्ण अधिष्ठापनाओं (इंस्टालेशन) की दुश्मन के कमांडो और पैरा–ट्रूप के आक्रमण से सुरक्षा करना।

यह बल सीमा सुरक्षा बल अधिनियम से शासित होता है, जिसे 1968 में संसद द्वारा पारित किया गया था तथा जो 9 जून, 1969 से प्रभावी हुआ।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.)

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए संसद के एक अधिनियम (केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968) द्वारा किया गया था। बाद में 1983 में इसे संघ सरकार का एक सशस्त्र बल बनाया गया था। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मियों के खर्चे का वहन सरकारी क्षेत्र का वह उपक्रम करता है जिसकी सुरक्षा के लिए उसे तैनात किया जाता है। इस बल को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लोक व्यवस्था बनाए रखने में मदद करने के लिए तैनात किया जाता है।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.)

यह बल 1939 में गठित किया गया था और यह क्राउन रिप्रेजेन्टेटिव पुलिस के नाम से जाना जाता था तथा इसका उपयोग मध्य भारत के तत्कालीन राजशाही प्रान्तों में कानून

गठन के समय सी.आर.पी.एफ. को क्राउन रिप्रेजेन्टेटिव पुलिस के रूप में जाना जाता था तथा इसका उपयोग मध्य भारत के तत्कालीन रजवाड़ों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जाता था।

व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया जाता था। आजादी के पश्चात् 1949 में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम पारित करके इस बल को सांविधिक दर्जा दिया गया। इसकी मुख्य भूमिका राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने में उनकी सहायता करना है। इस सुरक्षा बल को देश के विभिन्न भागों में घटित विभिन्न प्रकार के दंगों से निपटने के अतिरिक्त विगत कुछ वर्षों में विद्रोहरोधी तथा आंतकवाद रोधी अभियान, अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा, विमान सुरक्षा, चुनाव सम्बन्धी कर्तव्यों, गार्ड तथा सैनिक दस्तों की सुरक्षा सम्बन्धी कार्यकलापों में भी तैनात किया गया है।

यह बल दो सेक्टरों में विभाजित है तथा महानिरीक्षक (आई. जी.) प्रत्येक सेक्टर का प्रमुख होता है। प्रत्येक सेक्टर में ग्रुप सेंटर होते हैं। प्रत्येक ग्रुप में 5 से 7 बटालियन होती हैं। उप-महानिरीक्षक (डी.आई.जी.) प्रत्येक ग्रुप का प्रमुख होता है। सेक्टर तथा ग्रुप सेन्टर देश के विभिन्न स्थानों में स्थित होते हैं ताकि बल को शीघ्र इक्ट्ठा किया जा सके तथा आपात् स्थिति से निपटने के लिए इन्हें किसी भी स्थान पर तैनात किया जा सके।

सेक्टर के अतिरिक्त रैपिड एक्शन फोर्स भी होते हैं जिनका प्रमुख कार्य साम्प्रदायिक दंगों से निपटना है।

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी.)

भारत तिब्बत सीमा पुलिस मूलतया के.रि.पु. बल अधिनियम के तहत गठित की गई थी। अब यह भारत-तिब्बत सीमा पुलिस अधिनियम, 1992 द्वारा शासित होती है।

सन् 1962 में चीन के हमले के परिणामस्वरूप 2115 कि. मी. लम्बी भारत-तिब्बत सीमा पर पुलिस व्यवस्था बनाने के लिए भारत-तिब्बत सीमा पुलिस का गठन किया गया था। इस बल का शासन भारत-तिब्बत सीमा पुलिस अधिनियम द्वारा किया जाता है, जिसे 1992 में संसद में अधिनियमित किया गया था।

इस बल की प्रमुख भूमिका इस प्रकार है :

- उत्तरी सीमा की चौकसी, सीमा उल्लंघन को रोकना तथा स्थानीय लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करना;
- गैर–कानूनी अप्रवास, सीमा पार तस्करी और अपराध को रोकना;
- संवेदनशील अधिष्ठापनाओं, बैंकों तथा महत्वपूर्ण व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना; और
- अशांति के पश्चात् किसी भी क्षेत्र में व्यवस्था बहाल करना और उसे बनाए रखना।

भारत–तिब्बत सीमा पुलिस 9000 फीट से लेकर 18000 फीट की ऊंचाई पर स्थित अग्रिम सीमा पोस्ट की चौकसी करती है। हालांकि भारत–तिब्बत सीमा पुलिस की प्रमुख भूमिका भारत–तिब्बत सीमा पर पुलिस व्यवस्था बनाए रखना है। इस बल को आंतरिक सुरक्षा कार्यों के लिए भी तैनात किया जाता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एन.एस.जी.)

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 के 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' के बाद उत्पन्न विभिन्न प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए की गई थी, जैसे कि आंतकवाद, बंधक बनाना, विमान अपहरण, व्यक्तियों का अपहरण, आदि। एन. एस.जी. के दो ग्रुप हैं – स्पेशल एक्शन ग्रुप (एस.ए.जी.) और स्पेशल रेंजर्स गुप (एस.आर.जी.)।

इस बल का कार्यकरण राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम, 1986 तथा इस अधिनियम के तहत अगस्त, 1987 में बनाए नियमों द्वारा विनियमित होता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का अपना कोई संवर्ग नहीं है। इसमें मुख्यतया सेना और केन्द्रीय अर्द्ध–सैनिक बलों से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी और जवान लिए जाते हैं।

पुलिस शोध तथा विकास ब्यूरो के कार्यकरण की समीक्षा तथा उसके मार्गदर्शन के लिए केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक पुलिस अनुसंधान और विकास सलाहकार परिषद होती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रभाग के कार्य का निरीक्षण तथा मार्गदर्शन के लिए एक स्थायी समिति होती है।

केन्द्रीय अर्द्ध–सैनिक बलों की 1.1.2001 की तारीख के अनुसार संख्या[22]

क्रम संख्या	के.अ.सै. बलों का नाम	बटालियनों की संख्या	कुल संख्या
1.	के.रि.पु.ब.	191	2,48,689
2.	सी.सु.बल	157	2,08,937
3.	के.औ.सु. बल	268	93,521
4.	भा.ति.सी.पु.	29	36,375
5.	रे.सु.बल	12	67843
6.	असम राइफल्स	46	65,185
7.	एस. एस. बी	34	47147
	कुल	737	767697

अन्य केन्द्रीय पुलिस संगठन

पुलिस शोध तथा विकास ब्यूरो (बी.पी.आर.एंड.डी.)

पुलिस शोध तथा विकास ब्यूरो का गठन गृह मंत्रालय के अंतर्गत अगस्त, 1970 में किया गया था जिसका कार्य परिवर्तनशील समाज में पुलिस समस्याओं के योजनाबद्ध अध्ययन को बढ़ावा देना तथा पुलिस कार्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए विकास के उपयोग को सुलभ बनाना है। अपने विद्यमान स्वरूप में पुलिस शोध तथा विकास ब्यूरो के निम्नलिखित चार प्रभाग हैं :

1. शोध प्रभाग
2. विकास प्रभाग
3. प्रशिक्षण प्रभाग
4. फारेंसिक विज्ञान प्रभाग

पुलिस शोध तथा विकास ब्यूरो की दो फेलोशिप योजना है। एक शोध प्रभाग द्वारा और दूसरा फारेंसिक विज्ञान प्रभाग

22. भारत में पुलिस संगठन सम्बन्धी आंकडे, 2006

द्वारा। सामाजिक विज्ञान के छात्रों में पुलिस समस्याओं के संबंध में शोध को बढ़ावा देने के लिए शोध प्रभाग पी.एच. डी. हेतु शोध कार्य के लिए स्नातकोत्तर छात्रों को 6 फेलोशिप प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, फारेंसिक विज्ञान में पी.एच.डी. कार्य के लिए प्रत्येक वर्ष 12 फेलोशिप प्रदान करता है। दोनो फेलोशिप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अनुरूप प्रदान किए जाते हैं।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.)

आज सी.बी.आई. के नाम से हम जिस संस्था को जानते हैं मूलतः उसे 1941में विशेष पुलिस स्थापना (एस.पी.ई.) के रूप में गठित किया गया था, जिसका कार्य दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत सरकार के युद्ध और आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ रिश्वत और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना था। युद्ध समाप्त होने के बाद भी सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए इस एजेंसी को बनाए रखने की आवश्यकता महसूस की गई। इस संगठन को एक सांविधिक आधार प्रदान करने के लिए 1946 में दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम पारित किया गया इसके अधिकार क्षेत्र में विस्तार किया गया और उसमें भारत सरकार के सभी विभागों के कर्मचारियों से सम्बन्धित भ्रष्टाचार के मामले शामिल किए गए। एस.पी. ई. की भूमिका धीरे-धीरे बढ़ाई गई और 1963 तक इसे भारतीय दंड संहिता के 97 धाराओं के अंतर्गत अपराधों, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अंतर्गत अपराधों तथा 16 अन्य केन्द्रीय अधिनियमों के अंतर्गत अपराधों की जांच का अधिकार दिया गया।

भारत सरकार ने 1963 में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी. आई.) का गठन किया।[23] इस नए संगठन के चार्टर में न सिर्फ दिल्ली विशेष पुलिस

23. यह भारत सरकार के संकल्प सं. 4/31/61 – टी दिनांक 1 अप्रैल, 1963 को गठित किया गया।

दि.वि.पु.स्था. अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत सी.बी.आई. को किसी राज्य में अपनी शक्तियों तथा अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के लिए उस राज्य सरकार की सहमति लेनी होती है।

स्थापना के कार्य शामिल है बल्कि इसमें केन्द्रीय वित्तीय कानूनों के उल्लंघन, केन्द्रीय सरकार के विभागों, सरकारी संयुक्त उद्यमों में बड़े भ्रष्टाचार, पासपोर्ट से सम्बन्धित धोखाधड़ी, गहन समुद्र तथा आकाश में किए गए अपराधों तथा अपराधियों के गैंग द्वारा किए गए संगठित अपराधों से सम्बन्धित जांच कार्य भी शामिल हैं। इसे अपराध के आंकडे रखने, कुछ विशेष प्रकार के अपराधों से सम्बन्धित जानकारी इक्ट्ठा करने, इन्टरनेशनल पुलिस आर्गेनाइजेशन (इंटरपोल) के लिए देश के राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो (एन.सी.बी.) के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वर्तमान में सी.बी.आई. के निम्नलिखित विभाग :

1. भ्रष्टाचार निरोध विभाग
2. आर्थिक अपराध विभाग
3. विशेष अपराध विभाग
4. विधि विभाग
5. समन्वय विभाग
6. प्रशासन विभाग
7. नीति और संगठन विभाग
8. तकनीकी विभाग
9. केन्द्रीय फारेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को जांच करने की कानूनी शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (डी.पी.एस. ई. एक्ट) से मिली है। यह संगठन सिर्फ ऐसे अपराधों की जांच कर सकता है जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 3 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हों। इस संगठन के अधिकारियों को अधिसूचित अपराधों के सम्बन्ध में वे ही शक्तियां, कर्तव्य, विशेषाधिकार तथा जिम्मेदारियां प्राप्त हैं जो संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों को प्राप्त हैं। जब सी. बी.आई. के सब–इंस्पेक्टर या उससे उपर रैंक के अधिकारी ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं तब उस समय

वह थाने का प्रभारी अधिकारी माने जाते हैं। केन्द्र सरकार को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचित अपराधों की जांच करने के लिए सी.बी. आई. के अधिकारियों की शक्ति और अधिकार क्षेत्र को रेलवे क्षेत्रों सहित सम्बन्धित किसी भी क्षेत्र तक विस्तार करने का अधिकार प्राप्त है। परन्तु यह सम्बन्धित राज्य सरकार की सहमति के अनुसार होगा।

यद्यपि सी.बी.आई. काफी दिनों से अस्तित्व में है परन्तु अभी भी यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 द्वारा शासित होता है। इस अधिनियम की धारा 4(1) इस संगठन पर अधीक्षण की शक्ति केन्द्र सरकार को सौंपती है। इस सम्बन्ध में दिसम्बर 1997 को एक महत्वपूर्ण घटना घटी जब उच्चतम न्यायालय ने 1993 की रिट याचिका (अपराध) सं. 340-343 जैन हवाला केस के नाम से प्रसिद्ध, पर अपना निर्णय दिया। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि सी.बी.आई. पर अधीक्षण की जिम्मेदारी केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) को सौंपी जाए तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा किया जाए।[24] उच्चतम न्यायालय का निर्णय केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2004 द्वारा लागू किया गया है।

एकल निदेश (सिंगल डाइरेक्टिव)

'एकल निदेश' शब्द आमतौर पर सी.बी.आई. की भूमिका और कार्यकरण से सम्बद्ध है। एकल निदेश केन्द्र सरकार द्वारा जारी वह कार्यपालिका निदेश है जिसमें विभाग के प्रमुख की पूर्व स्वीकृति के बगैर संयुक्त सचिव पद तथा इस पद के ऊपर के अधिकारी सहित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बेंको के अधिकारियों के खिलाफ के.अ.ब्यूरो

विद्यमान आसूचना एजेंसियों में संभवतः आसूचना ब्यूरो (आई.बी.) विश्व की सबसे पुरानी आसूचना एजेंसी है। इसकी स्थापना 23 दिसम्बर, 1887 को लंदन में भारत के सेक्रेट्री ऑफ स्टेट के एक आदेश द्वारा केन्द्रीय विशेष शाखा के रूप में की गई थी।

24. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, 1964 में भारत सरकार द्वारा एक संकल्प सं. 24/7/64 - ए.वी.डी. दिनांक 11 फरवरी, 1964 द्वारा गठित किया गया था।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो का गठन 1986 में निम्नलिखित चार इकाइयों का विलय करके किया गया था :-

1. पुलिस कम्प्यूटर समन्वय निदेशालय
2. के.अ.ब्यूरो का अपराध रिकार्ड शाखा
3. के.अ.ब्यूरो का केन्द्रीय फिंगर प्रिंट ब्यूरो
4. बी.पी.आर. एंड डी. का आंकड़ा शाखा

जांच अथवा अन्वेषण नहीं कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने हवाला मामले में एकल निदेश को निष्प्रभावी घोषित कर दिया। न्यायालय ने इसे दो आधार पर कानूनी रूप से स्वीकार नहीं किया। इसमें पुलिस अभिकरण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह दांडिक अपराध में जांच शुरू करने के लिए कार्यपालिका से अनुमति लेगा जो कानून के विपरीत है। दूसरी बात, यह कानून लागू करने में समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है। इन तर्कों को ना मानते हुए, केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2004 द्वारा एकल निदेश को सांविधिक स्वीकृति मिल गयी है।

समन्वय निदेशालय, पुलिस वायरलेस (डी.सी.पी.डब्ल्यू.)

एक स्वतंत्र और विश्वसनीय दूरसंचार प्रणाली की आवश्यकता भारत सरकार द्वारा सन् 1946 में ही महसूस की गई थी जब गृहमंत्रालय के अधीन एक वायरलेस निरीक्षणालय गठित की गई थी।

इस संगठन का चार्टर काफी व्यापक है। सम्पूर्ण देश में पुलिस दूरसंचार प्रणाली के समन्वयन और विकास के लिए जिम्मेदार डी.सी.पी.डब्ल्यू. एक प्रधान दूरसंचार संगठन है जो अपने अंतर-राज्य पुलिस वायरलेस स्टेशनों/आई.एस.पी. डब्ल्यू. को तथा राष्ट्रीय राजधानी को महत्वपूर्ण संचार प्रदान करता है। यह कानून व्यवस्था तथा अन्य मामलों में केन्द्र तथा राज्यों के बीच चौबीसों घंटे संचार उपलब्ध कराता है।

आसूचना ब्यूरो (आई.बी.)

विद्यमान आसूचना एजेंसियों में आसूचना ब्यूरो संभवतः विश्व की सबसे पुरानी आसूचना एजेंसी है। इसे सेंट्रल स्पेशल ब्रांच के रूप में भारत के सेक्रेट्री ऑफ स्टेट के आदेश द्वारा 23 दिसम्बर, 1887 को लंदन में स्थापित किया गया था। भारतीय पुलिस आयोग, 1902-03 की सिफारिशों के अनुसार इस संगठन का केन्द्रीय अपराध आसूचना विभाग

के रूप में पुनः नामकरण किया गया। धीरे–धीरे आपराधिक कार्यों के सम्बन्ध में इसकी जिम्मेदारियां कम होती गई और इसकी सुरक्षा सम्बन्धी जिम्मेदारियां बढ़ती गई। अतः वर्ष 1918 में इसके नाम से 'अपराधी' शब्द को हटा दिया गया और 1920 में इसका वर्तमान नाम आसूचना ब्यरो (आई.बी.) अपनाया गया। आई.बी. की भूमिका काफी बड़ी है तथा इसमें अनेक मुद्दों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है इसमें एक ओर तो आंतकवाद, विद्रोह और उग्रवाद तथा दूसरी ओर विदेशी एजेंसियों द्वारा जासूसी तथा देश के लोकतांत्रिक ढांचे को प्रभावित करने के प्रयासों जैसी अनेक समस्याओं से इसे निपटना होता है। इस संगठन का मुख्य कार्य व्यक्तियों तथा संगठनों की विद्रोही तथा आंतकवादी गतिविधियों के सम्बन्ध में आसूचना इक्ट्ठा करना तथा सम्बन्धित प्राधिकार को समय पर ऐसी सूचना प्रदान करना है तथा देश और इसकी संस्थाओं की आंतरिक सुरक्षा को खतरों से बचाने के लिए नीतियां तैयार करना है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.)

एन.सी.आर.बी. के चार्टर में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं :–

- अपराध तथा अपराधियों सम्बन्धी जानकारी के लिए एक क्लियरिंग हाऊस के रूप में कार्य करना;
- अंतर–राज्यीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अपराध और अपराधियों के सम्बन्ध में सूचना इक्ट्ठा करना, उसका समन्वय करना और प्रसार करना;
- अपराध सम्बन्धी आंकड़े इक्ट्ठा करना, उन्हें व्यवस्थित करना और प्रकाशित करना;
- राज्यों में अपराध रिकार्ड ब्यूरो विकसित करना तथा उसका आधुनिकीकरण करना;

अकादमी के उद्देश्य वक्तव्य से उद्धरण

"सरदार बल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख उद्देश्य भारतीय पुलिस के लिए ऐसा नेतृत्व तैयार करना है जो साहस, ईमानदारी, समर्पण तथा जनता के प्रति दृढ़ सेवा भाव से पुलिस बल का नेतृत्व/नियंत्रण करें।"

- पुलिस संगठनों के लिए कम्प्यूटर आधारित प्रणाली विकसित करना तथा उसके कम्प्यूटरीकरण के लिए डाटा प्रसंस्करण और प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करना; और
- फिंगर प्रिंट रिकार्ड के लिए भंडारगृह के रूप में कार्य करना।

राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और फारेंसिक विज्ञान संस्थान (एन. आई.सी.एफ.एस.)

एन.आई.सी.एफ.एस. को पुलिस शोध और विकास ब्यूरो के एक भाग के रूप में 1973 में भारत सरकार द्वारा मूलतः केन्द्रीय अपराध विज्ञान और फारेंसिक विज्ञान संस्थान के रूप में गठित किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1969 में गठित एक उप–समिति ने ऐसे एक संस्थान की आवश्यकता की सिफारिश की थी। वर्ष 1976 में इसे पुलिस शोध और विकास ब्यूरो से अलग किया गया तथा गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र दर्जा दिया गया। भारत सरकार के दिनांक 25 सितम्बर, 1976 के संकल्प में इसके चार्टर को परिभाषित किया गया। इसके चार्टर के अनुसार इसका कार्य अपराध विज्ञान और फारेंसिक विज्ञान की जानकारी में वृद्धि करना, पुलिस, न्यायिक तथा सुधारात्मक सेवाओं के अधिकारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित करना तथा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के लिए अपराध विज्ञान और फारेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में एक संदर्भ निकाय के रूप में कार्य करना है।

सरकार बल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एन.पी.ए.)

राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, जिसका नाम भारत के पूर्व उप–प्रधानमंत्री (1947–1950) सरदार बल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया, देश का प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थान

है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है।

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को चयन के पश्चात्, व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए सरदार बल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद भेजा जाता है। प्रशिक्षार्थियों को 44 सप्ताह के लिए आंतरिक तथा बाह्य दोनों विषयों में प्रशिक्षण दिया जाता है।

अकादमी में निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं :– भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए मौलिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस अधीक्षक, उप–महानिरीक्षक और महा निरीक्षक स्तर के अधिकारियों के लिए प्रबन्धन विकास कार्यक्रम, देश के विभिन्न पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षक–प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नत राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए भारतीय पुलिस सेवा प्रवेश प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा सभी स्तर के पुलिस अधिकारियों के लिए व्यवसायिक विषयों पर लघु विशेषज्ञ थिमेटिक पाठ्यक्रम, सेमिनार और कार्यशाला आयोजित करना।

अकादमी द्वारा समय–समय पर आयोजित विभिन्न विशेषज्ञ पाठ्यक्रमों में विदेशी पुलिस अधिकारी, सेना/भा.प्र.से./भारतीय विदेश सेवा/न्यायपालिका सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, बीमा कम्पनियों, आदि के अधिकारी भी शामिल होते हैं।

इस अकादमी में कुल 427 कर्मचारी हैं। अकादमी बोर्ड जिसकी अध्यक्षता संघ गृह सचिव करते हैं तथा जिसमें वरिष्ठ सिविल और पुलिस सेवा तथा प्रख्यात शिक्षाविद् सदस्य होते हैं अकादमी में आयोजित विभिन्न पाठ्यक्रमों के विषयों तथा प्रशिक्षण प्रणाली की आवधिक समीक्षा करते हैं। बोर्ड राज्य पुलिस आयोग के कार्यों और समस्याओं का निरीक्षण करता है।

पुलिस आधुनिकीकरण योजना

भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को उनके पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना 1969–70 में शुरू की। प्रारंभ में इस योजना के अंतर्गत 75 प्रतिशत ऋण और 25 प्रतिशत अनुदान पर सहायता दी जाती थी। छठें वित्त आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1973–74 में इसका पैटर्न बदलकर 50 प्रतिशत सहायता अनुदान और 50 प्रतिशत ऋण कर दिया गया।

इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता निम्नलिखित सामग्रियों की खरीद पर दी जाती है :–

- अपराध रिकार्ड के लिए डाटा प्रोसेसिंग मशीन;
- फारेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, फिंगर प्रिंट ब्यूरो, विवादित कागजातों की जांच के केन्द्रों के लिए उपकरण तथा अनुसंधान के लिए सहायता;
- पुलिस के लिए वायरलेस उपकरण;
- पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उपकरण; तथा
- पुलिस की बढ़ती गतिशीलता के लिए वाहन।

वर्ष 1969–70 से 1979–80 तक की अवधि के प्रथम चरण के लिए राज्य सरकारों को 52.24 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने अपने तीसरे प्रतिवेदन (फरवरी, 1980) में योजना के कार्यकरण की जांच की। आयोग ने सिफारिश की कि इस योजना को 1978–79 से अगले 10 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जाए तथा राशि में व्यापक वृद्धि की जाए। भारत सरकार ने इस योजना को

1989–90 तक बढ़ाया तथा परिव्यय को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए किया। इस चरण में राज्यों को समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान कर क्षेत्र आधारित अवधारणा अपनाने और ऐसे क्षेत्रों में पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए योजना बनाने को कहा गया। इस चरण में राज्यों को 89.29 करोड रुपए जारी किए गए।

इस योजना को आगे तीसरे चरण में भी बढ़ाया गया जो 1991–2000 की अवधि के लिए था। परिव्यय में वृद्धि की गई तथा प्रतिवर्ष 30 करोड़ रुपए की दर से 1991–95 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान राज्यों को 120 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। राज्यों को निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार कोष आवंटित किए गएः–

मानदंड	महत्व
राज्य की जनसंख्या	35 प्रतिशत
पुलिस कर्मियों की अनुमोदित संख्या	25 प्रतिशत
पुलिस थानों की संख्या	15 प्रतिशत
प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध	25 प्रतिशत

इस चरण के दौरान मदवार आवंटन इस प्रकार निर्धारित किए गए थे :

- पुलिस प्रशिक्षण – भवन तथा उपकरण – 20 प्रतिशत
- फारेंसिक विज्ञान – भवन तथा उपकरण – 20 प्रतिशत
- भीड़ नियंत्रण/यातायात नियंत्रण/अतिविशिष्ट व्यक्तियों सुरक्षा के लिए हल्के अस्त्र/सहायता – 20 प्रतिशत
- नए वाहनों की खरीद – 20 प्रतिशत
- संचार – 10 प्रतिशत

- अनुसंधान/डाटा प्रोसेसिंग/कार्यालय उपकरण के लिए सहायता – 10 प्रतिशत

वर्तमान में आतंवाद व नक्सलवाद आदि आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में एक उभरती हुई चुनौती है जिसने पुलिस आधुनिकीकरण को जरूरी बना दिया है। गृह मंत्रालय ने पुलिस आधुनिकीकरण के लिए कई कदम एक योजना के रूप में उठाए हैं। इसमें सुरक्षित पुलिस थानों आऊट पोस्ट, पुलिस लाइन्स का निर्माण, आधुनिक हथियारों फोरेंसिक सामग्री संचार व्यवस्था की खरीद, प्रशिक्षण की सुविधाओं में बढ़ोतरी, पुलिस कर्मियों के लिए आवास की व्यवस्था तथा कम्पयूटरीकरण शामिल है।

इस योजना के अन्तर्गत, राज्य को दो वर्गों में विभाजित किया है 'A' तथा 'B' और इसको क्रमशः सरकारी कोष से 100 प्रतिशत तथा 75 प्रतिशत धन दिया जाता है। जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर – पूर्वी राज्यों को 'A' श्रेणी और बाकी 20 राज्यों को 'B' श्रेणी में रखा गया है। इस आदेश से पुलिस बल को आधुनिक बनाने की प्रक्रिया में बढ़ोतरी करने के साथ मुख्य रूप से उन राज्यों पर ध्यान दिया गया है जो आतंकवाद तथा अतिवाद की समस्या से ग्रस्त है।

केन्द्रीय सहायता जो राज्यों को प्रदान किया जाता है उसका विवरण इस प्रकार हैः

वर्ष	राशि प्रदान किया गया (करोड़ में)
2000–01	1000
2001–02	1000
2002–03	695
2003–04	705.27
2004–05	960
2005–06	1025
2006–07	798.34

कॉमन इंट्रीग्रेटेड पुलिस एप्लिकेशन (सी.आई.पी.ए.)

सी.आई.पी.ए. परियोजना को सभी राज्यों में समान रूप में ऐसी कुशल व्यवस्था के लिऐ लागू किया जा रहा है जिससे अपराध एवं अपराधी और कम्प्यूटरीकृत अपराध संरचना की सूचना तथा जाँच आसानी से प्राप्त हो। राष्ट्रीय सूचना केन्द्र इस परियोजना को लागू करने वाली संस्था है। ये परियोजना, 'पायॅलेट परियोजना' के अन्तर्गत दिल्ली के छः थानों में लागू किया गया था, अब यह दिल्ली के सभी थानों में संचालित है।

ये परियोजना सभी राज्यों में चरण–बद्ध प्रक्रिया में लागू की जा रही है। पहले चरण में, ये परियोजना सभी राज्यों में 10 प्रतिशत थानों में पूर्ण होने के कगार पर है। सी॰ आइ॰ पी॰ ए॰ साफ्टवेयर अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में जैसे हिन्दी, बंगाली, गुजराती, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तमिल तथा तेलगू में उपलब्ध है। दूसरे चरण में, देश में 30 प्रतिशत थानों में सी॰ आइ॰ पी॰ ए॰ परियोजना 2006–07 तक लागू की गई है।

भारत में पुलिस संगठन – एक झलक

भारत में केन्द्र तथा राज्य दोनों सरकारों के अंतर्गत पुलिस संगठन की एक झलक संलग्न चित्र से देखी जा सकती है।

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव

बी-117, पहला तल, सर्वोदय एन्क्लेव, नई दिल्ली-110017 (भारत)

टेलीफोन : +91-11-26850523, 26528152, 26864678

फैक्स : +91-11-26864688

ई-मेल : chriall@nda.vsnl.net.in

वेबसाइट : http://www.humanrightsinitiative.org